भारतीय रिज़र्व बैंक
वित्तीय कंपनी विभाग
केंद्रीय कार्यालय
15, नेताजी सुभाष रोड
पोस्ट बॉक्स संख्या 571

अधिसूचना सं. डीएफसी.118/डीजी(एसपीटी)-98 दिनांक 31 जनवरी 1998

भारतीय रिज़र्व बैंक, जनहित में इसे आवश्यक समझते हुए और इस बात से संतुष्ट होकर कि देशहित में ऋण प्रणाली को विनियमित करने के लिए बैंक को सक्षम करने के उद्देश्य से, नीचे दिए गए निदेशों को जारी करना आवश्यक है, एतद्वारा, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45जे, 45के, 45एल और 45एमए द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में इसे समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करके और अधिसूचना सं. डीएफसी.114/डीजी(एसपीटी)-98 दिनांक 2 जनवरी 1998 में निहित पूर्ववर्ती निदेशों के अधिक्रमण में, प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को यहां इसके बाद विनिर्दिष्ट देता है।

भाग I – प्रारंभिक

<u>संक्षिप्त शीर्षक और निदेशों का प्रारंभ</u>

1. इन निदेशों को "गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां- जनता की जमाराशियों की स्वीकृति (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998" के रूप में जाना जाएगा। ये 31 जनवरी, 1998 से प्रभावी होंगे और इन निदेशों के प्रारंभ होने की तिथि के संदर्भ में किसी भी संदर्भ को उस तिथि का संदर्भ माना जाएगा।

<u>परिभाषाएँ</u>

2. **(1)** इन निदेशों के प्रयोजन के लिए, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(i) "जमाकर्ता" से तात्पर्य कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने किसी कंपनी में जमाराशि रखी है; अथवा ऐसे जमाकर्ता का उत्तराधिकारी, विधिक प्रतिनिधि, प्रशासक अथवा समनुदेशिती.

(ii) " उपकरण पट्टे पर देने वाली कंपनी" का तात्पर्य उस कंपनी से है जो एक वित्तीय संस्थान है और अपने प्रमुख व्यवसाय के रूप में उपकरणों को पट्टे पर देने का कार्य करती है;

(iii) "निर्बंध आरक्षित निधियाँ" का तात्पर्य है शेयर प्रीमियम खाते की शेष राशि का कुल, पूंजी और डिबेंचर शोधन आरक्षित निधियां और किसी कंपनी के तुलन पत्र में दर्शाई गई या प्रकाशित कोई अन्य आरक्षित निधि, जिसे लाभ के विनियोजन के माध्यम से सृजित किया गया है और जो भविष्य की किसी देनदारी के पुनर्भुगतान के लिए या आस्तियों में मूल्यह्रास के लिए या अशोध्य ऋणों के लिए सृजित आरक्षित निधि नहीं है या संबंधित कंपनी की आस्तियों के पुनर्मूल्यन द्वारा सृजित आरक्षित निधि नहीं है।

(iv) "किराया खरीद वित्त कंपनी" का अर्थ है कोई भी कंपनी जो एक वित्तीय संस्थान है और अपने प्रमुख व्यवसाय के रूप में किराया खरीद लेनदेन की गतिविधि करती है;

(v) "बीमा कंपनी" का अर्थ है बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 3 के तहत पंजीकृत कोई कंपनी;

(vi) "निवेश कंपनी" से तात्पर्य है कोई ऐसी कंपनी जो एक वित्तीय संस्था है और जिसका प्रमुख व्यवसाय प्रतिभूतियों का अर्जन है;

(vii) "ऋणदायी सरकारी वित्तीय संस्था" का अर्थ है –

(ए) कोई सरकारी वित्तीय संस्था जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 4 ए में विनिर्दिष्ट अथवा उसके अधीन है; या

(बी) कोई राज्य वित्तीय, औद्योगिक अथवा निवेश निगम; या

(सी) कोई अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक; या

(डी) साधारण बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 9 के उपबंधों के अनुसरण में स्थापित भारतीय साधारण बीमा निगम; या

(ई) ऐसी कोई अन्य संस्था जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक इस संबंध में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे;

(viii) "ऋण कंपनी" से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जो एक वित्तीय संस्था है और जिसका प्रमुख व्यवसाय स्वयं की गतिविधि के अलावा अन्य किसी गतिविधि के लिए ऋण या अग्रिम या अन्यथा के माध्यम से वित्त प्रदान करना है लेकिन इसमें उपकरण पट्टे पर देने वाली कंपनी या किराया-खरीद वित्त कंपनी शामिल नहीं है;

(ix) "पारस्परिक लाभ वित्तीय कंपनी" से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 620ए के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित एक वित्तीय संस्थान है.

[1]*[(ixa) "पारस्परिक लाभ कंपनी" से* तात्पर्य *ऐसी कंपनी से है जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 620ए के तहत अधिसूचित नहीं है और -*

(ए) 9 जनवरी 1997 को एक गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान का कारोबार रही है; और

(बी) जिसके पास कुल निवल स्वाधिकृत निधियां और अधिमानी शेयर पूंजी दस लाख रुपये से कम नही है; और

(सी) जिसने 9 जुलाई 1997 को या उससे पहले बैंक के पास पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए जाने हेतु आवेदन किया है; और

(डी) जो केंद्र सरकार द्वारा निधि कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 637ए के तहत जारी निदेशों के प्रासंगिक उपबंधों में निहित आवश्यकताओं का अनुपालन कर रही है].

(x) `निवल स्वाधिकृत निधि' से तात्पर्य, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45 आईए के तहत यथा परिभाषित निवल स्वाधिकृत निधि से है, जिसमें इक्विटी में अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय चुकता अधिमानी शेयर शामिल हैं।

(xi) "गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी" से तात्पर्य केवल गैर-बैंकिंग संस्थान से है जो एक ऋण कंपनी या निवेश कंपनी या एक किराया खरीद वित्त कंपनी या उपकरण पट्टे पर देने वाली कंपनी या पारस्परिक लाभ वित्तीय कंपनी है.

(xii) 'जनता की जमाराशि' से तात्पर्य है भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45 आई (बीबी) के तहत यथा परिभाषित जमाराशि है, जिसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:

---

[1] 13 जनवरी 2000 की अधिसूचना संख्या 134 द्वारा जोड़ा गया

(ए) केंद्र सरकार या राज्य सरकार से प्राप्त कोई राशि या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त ऐसी राशि जिसकी चुकौती केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत है अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी विदेशी सरकार या किसी अन्य विदेशी नागरिक, प्राधिकरण या व्यक्ति से प्राप्त कोई राशि;

(बी) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 (1964 का 18) के तहत स्थापित भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, या जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) के तहत स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम, या साधारण बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 9 के उपबंधों के अनुसरण में स्थापित भारतीय साधारण बीमा निगम और उसकी सहायक कंपनियां, अथवा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम,1989 (1989 का 39) के तहत स्थापित भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक या भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 (1963 का 52) के तहत स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट, या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम,1982 के तहत स्थापित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, या विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के तहत गठित विद्युत बोर्ड, या तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम लिमिटेड, या भारतीय राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम लिमिटेड, या भारतीय पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड, या भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लिमिटेड या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड या भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड, या भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड, या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड या खनिज और धातु व्यापार निगम लिमिटेड, या कृषि वित्त निगम लिमिटेड, या महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक और निवेश निगम लिमिटेड, या गुजरात औद्योगिक निवेश निगम लिमिटेड, या एशियाई विकास बैंक या अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट अन्य किसी संस्था से प्राप्त कोई राशि ;

(सी) किसी कंपनी को किसी अन्य कंपनी से प्राप्त कोई राशि;

(डी) ऐसे किसी भी शेयरों, स्टॉक, बॉण्ड या डिबेंचर जो आवंटन के लिए लंबित हैं की ग्राहकी के माध्यम से प्राप्त कोई राशि, और संबंधित कंपनी के संस्था के अंतर्नियमों के अनुसार शेयरों पर अग्रिम मांग के माध्यम से प्राप्त कोई भी राशि, जब तक वह संबंधित कंपनी के संस्था के अंतर्नियमों के अधीन सदस्यों को चुकौती योग्य नहीं है;

(ई) किसी ऐसे व्यक्ति से प्राप्त कोई राशि जो राशि की प्राप्ति के समय कंपनी का निदेशक था या किसी निजी कंपनी द्वारा या ऐसी निजी कंपनी द्वारा अपने शेयरधारकों से प्राप्त कोई राशि जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 43ए के तहत एक सार्वजनिक कंपनी बन गई है और अपने संस्था के अंतर्नियमों में कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (iii) में निर्दिष्ट मामलों से संबंधित उपबंधों में शामिल करना जारी रखती है:

बशर्ते कि निदेशक या शेयरधारक, जैसा भी मामला हो, जिससे धन प्राप्त हुआ है, धन देते समय कंपनी को लिखित रूप में इस आशय का एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करता है कि उक्त राशि उधार अथवा अन्यों से स्वीकार की गई निधियों से नहीं दी जा रही है ;

[2]*[आगे शर्त यह है, कि निजी कंपनी के संयुक्त शेयरधारकों के मामले में, संयुक्त शेयरधारकों से या उनके नाम से प्राप्त राशियां, प्रथम नामित शेयरधारक को छोड़कर, संबंधित कंपनी के शेयरधारक से प्राप्त धन के रूप में की प्राप्ति के रूप में माने जाने हेतु पात्र नहीं होगी;]*

(एफ) कंपनी की किसी अचल संपत्ति या किसी अन्य परिसंपत्ति के बंधक द्वारा प्रतिभूत बांडों या डिबेंचरों के निर्गम द्वारा राशि या उन्हें कंपनी में शेयरों में परिवर्तित करने के विकल्प के साथ जुटाई गई कोई राशि बशर्ते कि यदि ऐसे बांड या डिबेंचर किसी अचल संपत्ति के बंधक द्वारा या किसी अन्य परिसंपत्तियों द्वारा प्रतिभूत हैं तो ऐसे बांडों या डिबेंचरों की राशि ऐसी अचल संपत्ति/अन्य परिसंपत्ति के बाजार मूल्य से अधिक नहीं होगी;

(जी) ऋणदात्री संस्थानों की शर्तों के अनुसरण में गैर-जमानती ऋण के माध्यम से प्रवर्तकों द्वारा निम्नलिखित शर्तों के पालन के अधीन लाई गई कोई राशि, अर्थात्: -

(i) ऐसे वित्त में अंशदान से संबंधित प्रवर्तक के दायित्व की पूर्ति में ऋणदात्री सार्वजनिक वित्तीय संस्थान द्वारा लगाई गई शर्तों के अनुसरण में संबंधित ऋण लाया गया है।

(ii) प्रवर्तकों द्वारा स्वयं और/या उनके रिश्तेदारों द्वारा ऋण प्रदान किया गया है, न कि उनके मित्रों और व्यावसायिक सहयोगियों द्वारा, और

(iii) इस उप-खंड के तहत छूट केवल वित्तीय संस्थान के ऋण चुकाए जाने तक ही उपलब्ध होगी, उसके बाद नहीं;

[3][(एच) पारस्परिक निधि से प्राप्त कोई राशि जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1966 द्वारा शासित है;],

[4][(आई) संमिश्र ऋण या गौण ऋण के रूप में प्राप्त कोई भी राशि जिसकी न्यूनतम परिपक्वता अवधि साठ महीने से कम नहीं है;]

[5][(जे) किसी एनबीएफसी के निदेशक के रिश्तेदार से प्राप्त कोई राशि

नोट: जमा केवल जमाकर्ता द्वारा किए गए आवेदन पर ही स्वीकार किया जाएगा जिसमें यह निहित हो कि जमा की तिथि को, वह कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के तहत परिभाषित एक रिश्तेदार की क्षमता में विशिष्ट निदेशक से संबंधित है।]

[6][(के) बैंक द्वारा परिपत्र सं. आईईसीडी.3/08.15.01/2000-2001 दिनांक 10 अक्टूबर 2000 के माध्यम से जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसरण में वाणिज्यिक पत्र के निर्गम द्वारा प्राप्त राशि];

---

[2] 13 जनवरी 2000 की अधिसूचना संख्या 134 द्वारा जोड़ा गया

[3] 15 नवंबर 1999 की अधिसूचना संख्या 133 द्वारा जोड़ा गया

[4] 13 जनवरी 2000 की अधिसूचना संख्या 134 द्वारा जोड़ा गया और 30 जून 2000 की अधिसूचना संख्या 141 द्वारा (i) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया गया

[5] 30 जून 2000 की अधिसूचना संख्या 141 द्वारा जोड़ा गया

[6] 27 जून 2001 की अधिसूचना संख्या 148 द्वारा जोड़ा गया

(xiii) "प्रतिभूतियों" का अर्थ प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2(एच) में परिभाषित प्रतिभूतियां हैं;

(xiv) "स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी" का अर्थ है स्टॉक ब्रोकर या सब-ब्रोकर का कारोबार करने वाली कंपनी, जिसके पास भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 12 के तहत प्राप्त वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र है; और

(xv) "शेयर बाजार" का अर्थ है प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 4 के तहत शेयर बाजार के रूप में मान्यता प्राप्त कंपनी ।

(2) ऐसे शब्द या अभिव्यक्तियाँ जो इसमें प्रयुक्त हैं लेकिन यहां परिभाषित नहीं हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 1)[7] [या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 या अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1987] में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो उन अधिनियमों में उन्हें दिया गया है।

(3) (i) यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई कंपनी एक वित्तीय संस्थान है या नहीं, तो ऐसे प्रश्न का निर्णय भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र सरकार के परामर्श से किया जाएगा और ऐसा निर्णय अंतिम होगा और सभी संबंधित पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

(ii) यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई कंपनी जो एक वित्तीय संस्थान है, एक ऋण कंपनी है या निवेश कंपनी है या किराया खरीद वित्त कंपनी है या उपकरण पट्टे पर देने वाली कंपनी है, तो इस तरह के प्रश्न का निर्णय कंपनी के प्रमुख व्यवसाय और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाएगा और इस तरह का निर्णय अंतिम होगा और सभी संबंधित पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

नोट:

किराया खरीद वित्तपोषण और उपस्कर पट्टेदारी दोनों में प्रवृत्त वित्तीय कंपनी के प्रमुख व्यवसाय का निर्णय इन दोनों प्रकार के व्यवसाय और अन्य संबंधित कारकों की मात्रा पर विचार करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा तय किया जाएगा।

[7] 18 दिसंबर 1998 की अधिसूचना संख्या 127 द्वारा जोड़ा गया

भाग II - जनता की जमाराशियों की स्वीकृति

पारस्परिक लाभ वाली वित्तीय कंपनियों द्वारा
जनता की जमाराशियां स्वीकार करने पर प्रतिबंध

3. (1) 31 जनवरी, 1998 को और उसके बाद से, कोई पारस्परिक लाभ वाली वित्तीय कंपनी[8] [या पारस्परिक लाभ वाली कंपनी],

(i) अपने शेयरधारकों से प्राप्त राशि को छोड़कर जनता से कोई जमाराशि स्वीकार नहीं करेगी या उसका नवीनीकरण नहीं करेगी और ऐसी जमाराशि चालू खाते की प्रकृति की नहीं होगी;

(ii) किसी भी व्यक्ति को उसके द्वारा एकत्र की गई जनता की जमाराशियों के लिए किसी भी दलाली, कमीशन, प्रोत्साहन या किसी भी अन्य लाभ का भुगतान नहीं करेगी;

(iii) अपने शेयरधारकों से जमाराशि आमंत्रित करने के लिए किसी भी रूप में और किसी भी मीडिया जैसे सूचना पट्ट, होर्डिंग, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीविजन आदि में विज्ञापन जारी नहीं करेगी।

(2) इन निदेशों के पैराग्राफ 4 के उप-पैराग्राफ (7), (15) और (16) को छोड़कर पैराग्राफ 4 से 6 में निहित उपबंध पारस्परिक लाभ वाली वित्तीय कंपनी[9] [*और पारस्परिक लाभ वाली कंपनी*] पर लागू नहीं होंगे।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा
जनता की जमाराशियां स्वीकार करने पर प्रतिबंध

4. न्यूनतम क्रेडिट रेटिंग

(1) 31 जनवरी 1998 को और उसके बाद से, -

(i) कोई भी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जिसके पास पच्चीस लाख रुपये और उससे अधिक की निवल स्वाधिकृत निधि (इसके बाद 'एनओएफ' के रूप में संदर्भित) है, तब तक जनता की जमाराशि स्वीकार नहीं करेगी, जब तक वह कम से कम वर्ष में एक बार साख निर्धारण एजेंसियों में से किसी एक से सावधि जमा के लिए न्यूनतम निवेश ग्रेड या अन्य विनिर्दिष्ट क्रेडिट रेटिंग प्राप्त नहीं कर लेती और उस रेटिंग की एक प्रति विवेकपूर्ण मानदंडों पर विवरणी के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक को भेज नहीं देती।

[8] 13 जनवरी 2000 की अधिसूचना संख्या 134 द्वारा जोड़ा गया
[9] 13 जनवरी 2000 की अधिसूचना संख्या 134 द्वारा जोड़ा गया

[10]*[बशर्ते कि यह खंड उप-पैरा (4) के खंड (ए) में संदर्भित उपस्कर पट्टेदारी या किराया खरीद वित्त कंपनी पर लागू नहीं होगा;]*

(ii) किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की क्रेडिट रेटिंग को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा पहले से धारित स्तर से किसी भी स्तर पर अपग्रेड या डाउनग्रेड करने की स्थिति में, इस तरह की रेटिंग प्रदान किए जाने के पंद्रह कार्य दिवसों के भीतर, इस तरह के अपग्रेड/डाउनग्रेड के बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक को लिखित रूप में सूचित करना होगा।

अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां और न्यूनतम निवेश ग्रेड क्रेडिट रेटिंग

अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के नाम और न्यूनतम क्रेडिट रेटिंग निम्नानुसार होगी:-

एजेंसी का नाम	न्यूनतम निवेश ग्रेड रेटिंग
(ए) भारतीय साख निर्धारण सूचना सेवा लि, (क्रिसिल)	एफए – (एफए माइनस)
(बी) आईसीआरए लिमिटेड	एमए – (एमए माइनस)
(सी) ऋण विश्लेषण और अनुसंधान लि. (केयर)	केयर बीबीडी (एफडी)
(डी) [11][फिच रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड]	[12][टीए-(इंड) (एफडी)]

मांग जमा स्वीकार करने पर निषेध

(2) 31 जनवरी 1998 को और उसके बाद से, कोई भी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी 31 जनवरी, 1998 से पहले या बाद में स्वीकार की गई किसी भी जनता की जमाराशि, जो मांग पर प्रतिदेय है को स्वीकार या नवीकृत नहीं करेगी।

जनता की जमाराशि की अवधि

(3) 31 जनवरी, 1998 को और उसके बाद से, कोई भी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी 31 जनवरी, 1998 से पहले या बाद में स्वीकृत की गई किसी भी जनता की जमाराशि को स्वीकार या नवीकृत नहीं करेगी, जब तक कि ऐसी जमा राशि स्वीकृति या उसके नवीनीकरण की तिथि से बारह महीने की अवधि के बाद लेकिन साठ महीने के पहले चुकौती योग्य हो।

---

[10] 13 जनवरी 2000 की अधिसूचना संख्या 134 द्वारा जोड़ा गया
[11] अधिसूचना संख्या 148 दिनांक 27 जून 2001 द्वारा प्रतिस्थापित
[12] 1 अक्टूबर 2002 की अधिसूचना संख्या 159 द्वारा प्रतिस्थापि

(4) <u>जमाराशि की मात्रा की उच्चतम सीमा</u>

उपस्कर पट्टेदारी कंपनी (ईएलसी)
किराया खरीद वित्त कंपनी (एचपीएफसी)
ऋण कंपनी (एलसी) और निवेश कंपनी (आईसी) -
<u>जनता की जमाराशियों की स्वीकृति</u>

सिवाय निम्नलिखित के, कोई उपस्कर पट्टेदारी कंपनी या किराया खरीद वित्त कंपनी या ऋण कंपनी या निवेश कंपनी जनता की जमाराशि को स्वीकार या नवीनीकृत नहीं करेगी –

<u>ईएलसी/एचपीएफसी</u>

(ए) एक उपस्कर पट्टेदार कंपनी या एक किराया खरीद वित्त कंपनी –

(i) जिसके पास पच्चीस लाख रुपये या उससे अधिक का एनओएफ हो; और

(ii) जो सभी विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन कर रही हो और जिसकी पूंजी पर्याप्तता अनुपात पिछले लेखापरीक्षित तुलन -पत्र के अनुसार पंद्रह प्रतिशत से कम न हो,

स्वीकृति या नवीनीकरण की तिथि पर कंपनी की बहियों में बकाया शेष राशि के साथ जनता की जमाराशि को स्वीकार या नवीनीकृत कर सकती है, बर्शते कि ऐसी जमाराशि कंपनी के एनओएफ के डेढ़ गुना या दस करोड़ रुपये तक की जनता की जमाराशि, जो भी कम हो, से अधिक न हो।

(बी) एक उपस्कर पट्टेदारी कंपनी या एक किराया खरीद वित्त कंपनी, -

(i) जिसके पास पच्चीस लाख रुपये या उससे अधिक का एनओएफ हो;

(ii) जो सभी विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन कर रही हो; और

(iii) न्यूनतम निवेश ग्रेड क्रेडिट रेटिंग से युक्त हो,

स्वीकृति या नवीनीकरण की तिथि पर कंपनी की बहियों में बकाया शेष राशि के साथ जनता की जमाराशि को स्वीकार या नवीनीकृत कर सकती है, बर्शते कि ऐसी जमाराशि कंपनी के एनओएफ के चार गुना से अधिक न हो।

<u>एलसी/आईसी</u>

(सी) एक ऋण कंपनी या एक निवेश कंपनी, -

(i) जिसके पास पच्चीस लाख रुपये या उससे अधिक का एनओएफ हो;

(ii) न्यूनतम निवेश ग्रेड क्रेडिट रेटिंग से युक्त हो; और

(iii) जो सभी विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन कर रही हो और जिसकी पूंजी पर्याप्तता अनुपात पिछले लेखापरीक्षित तुलन -पत्र के अनुसार पंद्रह प्रतिशत से कम न हो,

स्वीकृति या नवीनीकरण की तिथि पर कंपनी की बहियों में बकाया शेष राशि के साथ जनता की जमाराशि को स्वीकार या नवीनीकृत कर सकती है, बर्शते कि ऐसी जमाराशि कंपनी के एनओएफ के डेढ़ गुना से अधिक न हो।

बशर्ते कि एक ऋण कंपनी या एक निवेश कंपनी जो उपरोक्त सभी शर्तों का अनुपालन कर रही है और इन निर्देशों के लागू होने की तिथि पर एएए (ट्रिपल ए) ग्रेड क्रेडिट रेटिंग प्राप्त है, लेकिन उसकी पूंजी पर्याप्तता अनुपात पंद्रह प्रतिशत नहीं है, जब तक यह अपनी क्रेडिट रेटिंग की समान स्थिति को बनाए रखती है, जनता की जमाराशि को स्वीकार या नवीनीकृत कर सकती है, जो 18 दिसंबर, 1998 को कारोबार की समाप्ति तक बकाया राशि या इसके एनओएफ के डेढ़ गुना तक, जो भी अधिक हो से अधिक नहीं होगी। कंपनी निदेशों के पैरा 4(6) में निर्दिष्ट स्तर तक अपनी सार्वजनिक जमाराशि को कम करेगी और 31 मार्च, 2000 से पहले पंद्रह प्रतिशत की पूंजी पर्याप्तता अनुपात भी प्राप्त करेगी।

(डी) एक ऋण कंपनी या एक निवेश कंपनी जो सभी विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन करती है और इन निदेशों के लागू होने की तिथि को जिसके पास है –

(i) पच्चीस लाख रुपये या उससे अधिक का एनओएफ; और

(ii) एए (डबल ए) ग्रेड क्रेडिट रेटिंग; लेकिन अंतिम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार पंद्रह प्रतिशत या उससे अधिक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात नहीं है,

जब तक यह अपनी क्रेडिट रेटिंग की समान स्थिति को बनाए रखती है, स्वीकृति या नवीनीकरण की तिथि पर कंपनी की बहियों में बकाया शेष राशि के साथ जनता की जमाराशि को स्वीकार या नवीनीकृत कर सकती है, बर्शते कि जब तक कि कंपनी 31 मार्च, 2000 तक (लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार) पंद्रह प्रतिशत के पूंजी पर्याप्तता अनुपात को प्राप्त न कर ले ऐसी जमाराशि कंपनी के एनओएफ के बराबर राशि से अधिक नहीं होगी। अन्य शर्तों में कोई बदलाव नहीं होगा।

(ई) एक ऋण कंपनी या एक निवेश कंपनी जो सभी विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन करती है और इन निदेशों के लागू होने की तिथि को जिसके पास –

(i) पच्चीस लाख रुपये या उससे अधिक का एनओएफ है; और

(ii) ए (सिंगल ए) ग्रेड क्रेडिट रेटिंग प्राप्त है; लेकिन अंतिम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार पंद्रह प्रतिशत या उससे अधिक की पूंजी पर्याप्तता अनुपात नहीं है।

जब तक यह अपनी क्रेडिट रेटिंग की समान स्थिति को बनाए रखती है, ऐसी स्वीकृति या नवीनीकरण की तिथि पर कंपनी की बहियों में बकाया शेष राशि के साथ जनता की जमाराशि को स्वीकार या नवीनीकृत कर सकती है, बर्शते कि जब तक कि कंपनी 31 मार्च, 2000 तक (लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार) पंद्रह प्रतिशत के पूंजी पर्याप्तता अनुपात को प्राप्त न कर ले ऐसी जमाराशि कंपनी के एनओएफ के डेढ़ गुना से अधिक नहीं होगी। अन्य शर्तों में कोई बदलाव नहीं होगा।

<u>क्रेडिट रेटिंग की डाउनग्रेडिंग</u>

(5) पैरा 4(4) में दिए गए उपबंध के अनुसार न्यूनतम निर्दिष्ट निवेश ग्रेड से नीचे क्रेडिट रेटिंग के डाउनग्रेड होने की स्थिति में, एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी अतिरिक्त जमा राशि को नीचे दिए गए अनुसार विनियमित करेगी:

<u>ईएलसी/एचपीएफसी</u>

(i) एक उपस्कर पट्टेदारी कंपनी या एक किराया खरीद वित्त कंपनी –

(ए) यदि उसके पास पहले से ही उपर्युक्त पैरा 4(4) के उप-खंड (बी) के तहत अनुमत सीमा तक जनता की जमाराशि है; तो तत्काल प्रभाव से जनता से जमाराशि स्वीकार करना बंद कर देगी,

(बी) भारतीय रिज़र्व बैंक को पन्द्रह कार्य दिवसों के भीतर स्थिति की सूचना देगी; और

(सी) क्रेडिट रेटिंग के इस तरह के डाउनग्रेड होने की तारीख से तीन साल के भीतर,

अतिरिक्त सार्वजनिक जमा की राशि जिसे यह स्वीकार करने के लिए हकदार है को ऐसी जमा राशि के देय या अन्यथा होने पर चुकौती के द्वारा शून्य या उपर्युक्त पैरा 4 (4) के उप-खंड (ए) के तहत अनुमत उचित सीमा तक, जैसा भी मामला हो, कम करेगी।

<u>एलसी/आईसी</u>

(ii) एक ऋण कंपनी या एक निवेश कंपनी, -

(ए) तत्काल प्रभाव से जनता से जमा राशि स्वीकार करना बंद करेगी;
(बी) भारतीय रिज़र्व बैंक को पन्द्रह कार्य दिवसों के भीतर स्थिति की सूचना देगी; और
(सी) क्रेडिट रेटिंग के इस तरह के डाउनग्रेडिंग की तारीख से तीन साल के भीतर, अतिरिक्त जनता की जमाराशि को चुकौती के द्वारा शून्य करेगी, जब भी ऐसी जमाराशि देय या अन्यथा हो।

पूर्व में स्वीकृत और अनुमत सीमा से अधिक जमा
<u>की गई जनता की जमाराशियों का विनियमितीकरण</u>

(6) जहां एक उपस्कर पट्टेदारी कंपनी या एक किराया खरीद वित्त कंपनी या एक ऋण कंपनी या एक निवेश कंपनी 18 दिसंबर, 1998 को कारोबार की समाप्ति पर उचित सीमा, जितना कि इन निदेशों के उपर्युक्त उपबंधों के तहत यह स्वीकार करने की हकदार है, से अधिक जनता की जमाराशि धारण करती है, तो वह –

(i) जनता से जमाराशि स्वीकार करना बंद कर देगी; और
(ii) 31 दिसंबर, 2001 से पहले, अतिरिक्त जनता की जमा राशि को ऐसी जमाराशि के देय या अन्यथा होने पर चुकौती के द्वारा कम करके शून्य तक या उपरोक्त पैरा 4(4) के उपखंड (डी) या (ई) के तहत अनुमेय उचित सीमा, जैसा भी मामला हो तक लाना।

नोट :

विनियामक सीमा या क्रेडिट रेटिंग के डाउनग्रेडिंग के कारण जनता की जमाराशि अधिक होने की स्थिति में, एनबीएफसी पैरा 4 के उप-पैरा (5) और (6) और इन निर्देशों के अन्य उपबंधों में निहित चुकौती शर्तों के अनुपालन के अधीन जनता की परिपक्व जमाराशि का नवीनीकरण कर सकती है। यह स्पष्ट किया जाता है कि जमाकर्ता की स्पष्ट और स्वैच्छिक सहमति के बिना जनता की किसी भी परिपक्व जमाराशि का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।

<u>ब्याज दर की अधिकतम सीमा</u>

[13]*[(7) 4 मार्च 2003 को और उसके बाद से, कोई भी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी ग्यारह प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक की ब्याज दर पर जनता की जमाराशि को आमंत्रित या स्वीकार या नवीनीकृत नहीं*

[13] 3 मार्च 2003 की अधिसूचना संख्या 165 द्वारा प्रतिस्थापित

करेगी। ब्याज का भुगतान या संयोजन अंतराल में किया जा सकता है जो कि मासिक अंतराल से कम नहीं होगा।]

[14] *[(7ए) 18 सितंबर 2003 को और उसके बाद से कोई भी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी अधिसूचना संख्या फेमा.5/2000-आरबी दिनांक 3 मई 2000 के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ ऐसी जमाराशियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट दर से अधिक दर पर गैर- निवासी (विदेशी) खाता योजना के तहत अनिवासी भारतीयों से प्रत्यावर्तनीय जमाओं को आमंत्रित या स्वीकार या नवीनीकृत नहीं करेगी।*

<u>स्पष्टीकरण</u>

उपरोक्त जमा की अवधि एक वर्ष से कम और तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।]

<u>दलाली का भुगतान</u>

(8) 31 जनवरी, 1998 को और उसके बाद से कोई भी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी किसी दलाल को उसके द्वारा या उसके माध्यम से एकत्र की गई जनता की जमाराशि पर निम्नलिखित का भुगतान नहीं करेगी, -

(i) इस प्रकार एकत्र की गई जमा राशि के दो प्रतिशत से अधिक की दलाली, कमीशन, प्रोत्साहन या कोई अन्य लाभ, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो; और

(ii) उसके द्वारा एकत्रित किए गए जमा के 0.5 प्रतिशत से अधिक के संबंधित वाउचर/बिल के आधार पर प्रतिपूर्ति के रूप में व्यय।

[15]**<u>[जमाकर्ताओं को जमा की परिपक्वता की सूचना</u>**

(8ए) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का यह दायित्व होगा कि वह जमाराशि की परिपक्वता तिथि से कम से कम दो महीने पहले जमाकर्ता को जमाराशि की परिपक्वता के विवरण की सूचना दे।"]

<u>जनता की जमाराशि का नवीकरण</u>

(9) जहां कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी किसी मौजूदा जमाकर्ता को उच्च ब्याज दर का लाभ लेने के लिए परिपक्वता से पहले जमा राशि को नवीनीकृत करने की अनुमति देती है, ऐसी कंपनी जमाकर्ता को ब्याज दर में वृद्धि का भुगतान करेगी, बशर्ते कि, -

---

[14] 17 सितंबर, 2003 की अधिसूचना संख्या 174 द्वारा जोड़ा गया

[15] 5 अक्टूबर 2004 की अधिसूचना संख्या 179 द्वारा जोड़ा गया

(i) इन निदेशों के अन्य उपबंधों के अनुसार और मूल संविदा की शेष अवधि की तुलना में लंबी अवधि के लिए जमा राशि का नवीनीकरण किया जाता है; और

(ii) जमाराशि की समाप्त अवधि पर ब्याज उस दर से एक प्रतिशत बिंदु कम किया जाता है, जिसे कंपनी सामान्य रूप से भुगतान करती, अगर जमाराशि को उसके चालू अवधि के लिए स्वीकार किया जाता; ऐसी घटी हुई दर से अधिक दर पर पहले भुगतान किया गया कोई भी ब्याज वसूल/समायोजित किया जाता है।

<u>जनता की अतिदेय जमाराशियों पर ब्याज का भुगतान</u>

(10) एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, अपने विवेक पर, जनता की अतिदेय जमाराशि पर या उक्त अतिदेय जमाराशि के किसी अंश पर जमाराशि की परिपक्वता की तारीख से ब्याज की अनुमति दे सकती है, बशर्ते:

(i) अतिदेय जमा की कुल राशि या उसके किसी अंश को इन निदेशों के अन्य प्रासंगिक उपबंधों के अनुसार इसकी परिपक्वता की तारीख से भविष्य की किसी तारीख तक के लिए नवीनीकृत किया जाता है; और

(ii) अनुमत ब्याज ऐसी अतिदेय जमाराशि की परिपक्वता की तारीख को प्रभावी उचित दर पर होगा जो केवल इस प्रकार नवीकृत जमा की राशि पर देय होगा:

बशर्ते कि जहां एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जमाकर्ता द्वारा किए गए दावे पर परिपक्वता पर ब्याज सहित जमा राशि को चुकाने में विफल रहती है, तो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी दावे की तारीख से चुकौती की तारीख तक, जमा पर लागू दर पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी।

<u>संयुक्त जमा</u>

(11) जहां वांछित हो, जमा को संयुक्त नामों में "दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी", "नंबर एक या उत्तरजीवी", "कोई भी या उत्तरजीवी" खंड में से किसी के साथ या बिना स्वीकार किया जा सकता है।

<u>जनता से जमाराशियों आमंत्रित करने वाले आवेदन</u>
<u>पत्र में निर्दिष्ट किए जाने वाले विवरण</u>

(12) (i) 31 जनवरी 1998 को और उसके बाद से, कोई भी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जमाकर्ता से कंपनी द्वारा दिए जाने वाले फॉर्म में लिखित आवेदन के अलावा जनता की किसी भी जमाराशि को स्वीकार या नवीनीकृत नहीं करेगी। इस फॉर्म में कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 58ए के तहत बनाए गए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और विविध गैर-बैंकिंग कंपनियां (विज्ञापन) नियम, 1977 में

निर्दिष्ट सभी विवरण शामिल होंगे और इसमें जमाकर्ता की विशिष्ट श्रेणी, यानी जमाकर्ता शेयरधारक, कंपनी का निदेशक या प्रवर्तक या जनता का सदस्य है या नहीं का भी उल्लेख होगा।

(ii) आवेदन पत्र में निम्नलिखित भी शामिल होने चाहिए: -

(ए) इसकी सावधि जमा के लिए निर्धारित क्रेडिट रेटिंग और कंपनी की क्रेडिट रेटिंग निर्धारित करने वाली एजेंसी का नाम या यदि यह उपस्कर पट्टेदारी या किराया खरीद वित्त कंपनी है, तो प्रबंधन से इस आशय का एक विवरण कि इसके द्वारा धारित जनता की जमाराशि की मात्रा इसके एनओएफ के डेढ़ गुना या दस करोड़ रुपये, जो भी कम हो, से अधिक नहीं है;

(बी) ऐसी जमा के नियमों और शर्तों के अनुसार जमाराशि या उसके किसी अंश की चुकौती न करने की स्थिति में, जमाकर्ता कंपनी लॉ बोर्ड की पूर्वी/पश्चिमी/उत्तरी/दक्षिणी (जो लागू न हो उसे हटा दें) बेंच से संपर्क कर सकता है जिसका पूरा पता नीचे दिया गया है:

यहां कंपनी लॉ बोर्ड की बेंच का पूरा पता दें, जिसके अधिकार क्षेत्र में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है;

(सी) जमाराशि की चुकौती में कंपनी की किसी त्रुटि के मामले में, जमाकर्ता राहत के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण फोरम, राज्य स्तरीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण फोरम या जिला स्तरीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण फोरम से संपर्क कर सकता है;

(डी) यह वक्तव्य कि कंपनी की प्रकट की गई वित्तीय स्थिति और आवेदन पत्र में किए गए अभिवेदन सत्य और सही हैं और यह कि कंपनी और उसके निदेशक मंडल इसकी यथार्थता और सत्यता के लिए जिम्मेदार हैं;

(ई) इस बात की घोषणा कि कंपनी की वित्तीय गतिविधियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनयमित की जाती हैं। हालाँकि, यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, कंपनी की वित्तीय सुदृढ़ता या कंपनी के किन्हीं वक्तव्यों अथवा अभ्यावेदनों या अभिव्यक्त अभिमतों की सत्यता की और कंपनी द्वारा जमाराशि की चुकौती /देयताओं की चुकौती संबंधी कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेता है;

(एफ़) आवेदन पत्र के अंत में किन्तु जमाकर्ता के हस्ताक्षर से पहले, जमाकर्ता द्वारा सत्यापन संबंधी निम्नलिखित खंड जोड़ा जाए:

"मैंने कंपनी द्वारा प्रस्तुत वित्तीय ब्यौरों और अन्य विवरणों/ अभ्यावेदनों को पढ़ा है और सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद मैं इस कंपनी में अपने जोखिम पर स्वेच्छा से राशि जमा कर रहा हूं/रही हूं"।

[16]*[(जी) दी गई दोनों निधि तथा निधितर आधारित सुविधाओं से कुल बकाया और एक ही समूह की कंपनियों अथवा अन्य कंपनियों अथवा व्यावसायिक उद्यमों से बकाया जिनमें निदेशकों तथा/अथवा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पर्याप्त हित है, और ऐसी सुविधाओं में निवेश की कुल राशि, इन सबसे संबंधित सूचना।]*

[16] 13 जनवरी 2000 की अधिसूचना संख्या 134 द्वारा जोड़ा गया

[17][(iii) प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी नए जमाकर्ताओं के खाते खोलने और जमाराशियां स्वीकार करने से पहले उनका उचित परिचय प्राप्त करेगी और अपने रिकॉर्ड में ऐसे साक्ष्य रखेगी जिन पर उसने इस तरह के परिचय के लिए भरोसा किया]

<u>विज्ञापन तथा विज्ञापन के बदले में विवरण:</u>

(13) (i) जनता से जमाराशि आमंत्रित करने वाली प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी और विविध गैर-बैंकिंग कंपनी (विज्ञापन) नियमावली, 1977 के प्रावधानों का अनुपालन करेगी और उसके तहत जारी किए जाने वाले प्रत्येक विज्ञापन में निम्नलिखित का भी उल्लेख करेगी:-

(ए) जमाकर्ता को ब्याज, प्रीमियम, बोनस अन्य लाभ के रूप में प्रतिलाभ की वास्तविक दर;
(बी) जमा राशि के पुनर्भुगतान का तरीका;

(सी) जमाराशि की परिपक्वता अवधि;

(डी) जमाराशि पर देय ब्याज

(ई) जमाकर्ता द्वारा समय से पहले जमा राशि आहरण करने की स्थिति में जमाकर्ता को देय ब्याज की दर;

(एफ) नियम और शर्तें जिनके अधीन जमा का नवीनीकरण किया जाएगा;

(जी) नियम और शर्तों जिनके अधीन जमाराशि स्वीकार/नवीनीकृत की जाती है से संबंधित कोई अन्य विशेषताएं;

[18][(एच) एक ही समूह की कंपनियों या अन्य संस्थाओं या व्यावसायिक उद्यमों जिसमें निदेशक और/या एनबीएफसी का पर्याप्त हित है से कुल बकाया (प्रदान की गई गैर-निधि आधारित सुविधाओं सहित) और ऐसी संस्थाओं में निवेश की कुल राशि से संबंधित जानकारी; और]

[19][(i) कंपनी द्वारा आमंत्रित जमाराशियों का बीमा नहीं किया गया है।]

(ii) जहां कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी ऐसी जमाराशि आमंत्रित किए बिना या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी जमाराशि आमंत्रित करने की अनुमति दिए बिना या इसके लिए उसे प्रेरित किए बिना जनता की जमाराशि स्वीकार करने का इरादा रखती है, तो वह ऐसी जमाराशि स्वीकार करने से पहले, भारतीय रिज़र्व बैंक को रिकॉर्ड के लिए विज्ञापन के बदले एक विवरण देगी जिसमें गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी और विविध गैर-बैंकिंग कंपनी (विज्ञापन) नियमावली, 1977 तथा उपर्युक्त खंड (i) में दिए गए विवरणों के अनुसरण में विज्ञापन में शामिल किए जानेवाले आवश्यक सभी विवरण निहित होंगे जो उक्त नियमावली में दिए गए तरीके से विधिवत हस्ताक्षरित होगा।

(iii) उपर्युक्त खंड (ii) के तहत दिया गया विवरण, उस वित्तीय वर्ष जिसमें इसे वितरित किया गया है कि समाप्ति की तारीख से छह महीने की समाप्ति तक या तुलन पत्र को कंपनी के आम बैठक में रखे

[17] 13 जनवरी 2000 की अधिसूचना संख्या 134 द्वारा जोड़ा गया
[18] 18 दिसंबर 1998 की अधिसूचना संख्या 127 द्वारा जोड़ा गया
[19] 1 अक्टूबर 2002 की अधिसूचना संख्या 159 द्वारा जोड़ा गया

जाने की तारीख तक या जहां किसी वर्ष के लिए वार्षिक आम बैठक आयोजित नहीं की गई है तो, वह नवीनतम तारीख जिस पर कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के प्रावधानों के अनुसार बैठक आयोजित की जानी चाहिए थी उस दिन तक, जो भी पहले हो तक मान्य होगा और विवरण की वैधता की समाप्ति के बाद उस वित्तीय वर्ष में जनता की जमाराशि स्वीकार करने से पहले प्रत्येक बाद वाले वित्तीय वर्ष में एक नया विवरण दिया जाएगा।

<u>जनता की जमाराशि की चुकौती के संबंध में सामान्य प्रावधान</u>

.[20][5 अक्टूबर, 2004 को और इसके बाद से

न्यूनतम अवरुद्धता अवधि और
<u>जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में चुकौती</u>

(14) (i) कोई भी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जनता की किसी जमाराशि पर कोई ऋण नहीं देगी या जनता की जमाराशि की स्वीकृति की तारीख से तीन महीने की अवधि (अवरुद्धता अवधि) के भीतर समयपूर्व चुकौती नहीं करेगी:

बशर्ते कि किसी जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में, एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी उत्तरजीवी खंड के साथ संयुक्त होल्डिंग के मामले में जीवित जमाकर्ता/ओं को या मृत जमाकर्ता के नामिति/कानूनी उत्तराधिकारी/ओं को जीवित जमाकर्ता/ नामिती या कानूनी उत्तराधिकारी के अनुरोध पर तथा मृत्यु का प्रमाण प्रस्तुत करने पर ही, जिससे कंपनी संतुष्ट हो, जनता की जमाराशि की अवधिपूर्व चुकौती अवरुद्धता अवधि में भी कर सकता है।

एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो <u>कि एक</u>
<u>समस्यामूलक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी नहीं है</u>
<u>द्वारा जनता की जमाराशियों की चुकौती</u>

(ii) उप-पैरा (i) में निहित उपबंधों के अधीन, एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो एक समस्यामूलक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी नहीं है,

(ए) 5 अक्टूबर, 2004 से, अपने विवेकाधिकार पर जनता की जमाराशि के समयपूर्व पुनर्भुगतान की अनुमति दे सकती है:
बशर्ते कि पूर्वोक्त तिथि से पहले स्वीकार की गई जमा राशि के मामले में, ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, यदि इस तरह की जमा की स्वीकृति के नियमों और शर्तों द्वारा अनुमति दी जाती है, तो जमाकर्ता के अनुरोध पर, जमा की तारीख से तीन महीने की समाप्ति के बाद इसे समय से पहले चुका सकती है;

(बी) जमा की तारीख से तीन महीने की समाप्ति के बाद किसी जमाकर्ता को जमा राशि पर देय ब्याज दर से दो प्रतिशत अंक ऊपर ब्याज दर पर जनता की जमाराशि की पचहत्तर प्रतिशत राशि तक ऋण प्रदान कर सकती है।

[20] 5 अक्टूबर 2004 की अधिसूचना संख्या 179 द्वारा प्रतिस्थापित

एक समस्यामूलक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा
जनता की जमाराशियों की चुकौती

(iii) उप-पैरा (i) में निहित उपबंधों के अधीन, किसी जमाकर्ता को आकस्मिक प्रकृति के खर्चों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए, एक समस्यामूलक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी केवल निम्नलिखित मामलों में समय से पहले चुकौती कर सकती है, या जनता की किसी जमाराशि के विरुद्ध ऋण दे सकती है, यथा:

(ए) अत्यंत छोटी जमाराशि को पूरी तरह से चुकाना या अधिकतम रुपये 10,000/ तक की जनता की कोई अन्य जमाराशि को चुकाना; या
(बी) अत्यंत छोटी जमाराशि पर ऋण मंजूर करना या अन्य जमाराशि पर अधिकतम रु. 10,000/- तक ऋण देना, जिन पर ब्याज दर जमाराशि पर देय ब्याज दर से 2 प्रतिशत अंक ऊपर होगी।

एक ही क्षमता में एकल/प्रथम नामित जमाकर्ता
के नाम पर जमाराशियों को संयुक्त करना

(iv) एकल/प्रथम नाम वाले जमाकर्ता के नाम पर समान क्षमता वाले सभी जमा खातों को संयुक्त किया जाएगा और समय से पहले चुकौती के उद्देश्य से एक जमा खाते के रूप में माना जाएगा।

जनता की जमाराशियों की समयपूर्व चुकौती पर ब्याज दर

(v) जहां एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, चाहे अपने विवेकाधिकार पर या जमाकर्ता के अनुरोध पर, जैसा भी मामला हो, स्वीकृति की तारीख से तीन महीने के बाद लेकिन इसकी परिपक्वता से पहले जनता की जमाराशि का भुगतान करती है (जमाकर्ता की मृत्यु के मामले में समय से पहले चुकौती सहित) तो कंपनी निम्नलिखित दरों पर ब्याज का भुगतान करेगी:

3 महीने के बाद लेकिन 6 महीने से पहले	कोई ब्याज नहीं
6 महीने के बाद लेकिन परिपक्वता की तारीख से पहले	देय ब्याज जमा की चालू अवधि के लिए जनता की जमाराशि पर लागू ब्याज दर से 2 प्रतिशत कम होगा या यदि उस अवधि के लिए कोई दर निर्दिष्ट नहीं की गई है, तो उस न्यूनतम दर से 3 प्रतिशत कम होगी जिस पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा जनता की जमाराशि स्वीकार की जाती है।

स्पष्टीकरण: इस पैरा के प्रयोजन के लिए,

(ए) 'समस्यामूलक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी' का अर्थ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जिसने –
(i) परिपक्व सार्वजनिक जमा राशि की चुकौती के लिए की गई किसी वैध मांग को पांच कार्य दिवसों के भीतर पूरा करने से इनकार कर दिया है अथवा विफल रही है; या

(ii) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58एए के तहत सीएलबी को छोटे जमाकर्ता की किसी जनता की जमाराशि या उसके किसी अंश या उस पर किसी ब्याज के पुनर्भुगतान में अपनी चूक के बारे में सूचित करती है; या

(iii) अपने जमा दायित्वों को पूरा करने के लिए तरल आस्ति प्रतिभूतियों की निकासी के लिए बैंक से संपर्क करता है; या

(iv) जनता की जमाराशि या अन्य दायित्वों को पूरा करने में चूक से बचने के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जनता की जमाराशियों की स्वीकृति (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 या विवेकपूर्ण मानदंडों के उपबंधों से किसी भी राहत या रियायत या छूट के लिए बैंक से संपर्क करती है; या

(v) जिसे बैंक ने स्वयं की प्रेरणा से या जनता की जमाराशियों की चुकौती न करने पर जमाकर्ताओं द्वारा की गई शिकायतों के आधार पर या कंपनी के ऋणदाताओं से बकाया भुगतान ना करने संबंधी शिकायतों के आधार पर एक समस्यामूलक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में निर्धारण किया हो।

(बी) 'अत्यंत छोटी जमाराशि' का अर्थ है गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की सभी शाखाओं में समान क्षमता में एकल या प्रथम नामित जमाकर्ता के नाम पर जनता की कुल जमाराशियां जिनकी सकल राशि 10,000/- रुपये से अधिक नहीं है।"]

<u>जमाकर्ता को रसीद देना</u>

(15) (i) प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी प्रत्येक जमाकर्ता या उसके एजेंट या संयुक्त जमाकर्ताओं के समूह को जमा के रूप में कंपनी द्वारा प्राप्त प्रत्येक राशि की रसीद प्रस्तुत करेगी।

(ii) उक्त रसीद पर कंपनी द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित होगी और उस पर जमा की तारीख, जमाकर्ता का नाम, कंपनी द्वारा जमा के माध्यम से प्राप्त की गई राशि का अक्षरों और अंकों में, उस पर देय ब्याज दर और वह तारीख जब जमाराशि चुकौती योग्य है, का उल्लेख होगा:

बशर्ते कि, यदि उक्त रसीद आवर्ती जमा की पहली किस्त के बादवाली किस्तों से संबंधित हों, तो इसमें केवल जमाकर्ता का नाम और जमा की तारीख और राशि शामिल हो सकती है।

<u>जमाराशि का रजिस्टर</u>

(16) (i) प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी सभी जमाओं के संबंध में एक या एक से अधिक रजिस्टर रखेगी जिसमें प्रत्येक जमाकर्ता के मामले में निम्नलिखित विवरण अलग से दर्ज किए जाएंगे, अर्थात् –

(ए) जमाकर्ता का नाम और पता,

(बी) प्रत्येक जमा की तारीख और राशि,

(सी) प्रत्येक जमा की अवधि और भुगतान की तारीख,

(डी) प्रत्येक जमा राशि पर उपचित ब्याज या प्रीमियम की तिथि और राशि,

(ई) जमाकर्ता द्वारा किए गए दावे की तारीख,

(एफ) प्रत्येक चुकौती की तिथि और राशि, चाहे वह मूलधन, ब्याज या प्रीमियम की हो,

(जी) चुकौती में पाँच कार्य दिवसों से अधिक विलंब के कारण और

(एच) जमा से संबंधित कोई अन्य विवरण।

(ii) उपर्युक्त रजिस्टर कंपनी की उस प्रत्येक शाखा में रखा जाएगा/रखे जाएंगे जिस शाखा द्वारा संबंधित जमा खाता खोला गया है तथा सभी शाखाओं का एक समेकित रजिस्टर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में रखा जाएगा और उस वित्तीय वर्ष जिसमें किसी भी जमा, जिसका विवरण रजिस्टर में निहित है की चुकौती या नवीनीकरण की नवीनतम प्रविष्टि की गई है के बाद कम से कम आठ कैलेंडर वर्ष की अवधि के लिए अच्छी स्थिति में संरक्षित किया जाएगा।

बशर्ते कि यदि कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट खाता -बहियों को अपने पंजीकृत कार्यालय के अलावा किसी भी स्थान पर उस उप-धारा के परंतुक के अनुसार रखती है तो इस खंड के साथ उसे पर्याप्त अनुपालन माना जाएगा यदि पूर्वोक्त रजिस्टर किसी अन्य स्थान पर इस शर्त के साथ रखी जाती है कि उक्त उप धारा के परंतुक के तहत कंपनी रजिस्ट्रार के पास दायर की गई नोटिस की एक प्रति, उसके दायर किए जाने के दिन से सात दिन के अंदर उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक को सुपुर्द करती है।

[21] *[4ए. <u>जमाराशियों के संग्रहण के लिए शाखाएं और एजेंटों की नियुक्ति</u>*

13 जनवरी 2000 को और उसके बाद से, नीचे दिए गए प्रावधानों को छोड़कर कोई भी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी अपनी शाखा नहीं खोलेगी या जमाराशियों के संग्रहण के लिए एजेंटों की नियुक्ति नहीं करेगी:

(i) एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जिसके पास भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-आईए के तहत जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र है और अन्यथा इन निदेशों के पैराग्राफ 4(4) के अनुसार जनता की जमाराशियां स्वीकार करने की हकदार है, तो वह अपनी शाखा खोल सकती है या एजेंटों की नियुक्ति कर सकती है यदि

(ए) एनओएफ 50 करोड़ रुपये तक है	*उस राज्य के भीतर जिसमें इसका पंजी पंजीकृत कार्यालय स्थित है; और*
(बी) एनओएफ 50 करोड़ रुपये से अधिक है और इसकी क्रेडिट रेटिंग एए या इससे ऊपर है	*भारत में कहीं भी*

(ii) (ए) कोई शाखा खोलने के प्रयोजन के लिए, एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी प्रस्तावित शाखा खोलने की अपनी इच्छा के बारे में रिज़र्व बैंक को सूचित करेगी;

(बी) इस तरह की सूचना प्राप्त होने पर, रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि जनहित में या संबंधित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के हित में या अभिलिखित किए जाने वाले किसी भी अन्य

[21] 13 जनवरी 2000 की अधिसूचना संख्या 134 द्वारा जोड़ा गया

प्रासंगिक कारणों से, प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकता है और इस बात की सूचना गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को दे सकता है;
(सी) यदि ऐसी सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर उपर्युक्त (बी) के तहत प्रस्ताव को अस्वीकार करने की कोई सूचना रिज़र्व बैंक द्वारा नहीं दी जाती है, तो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी अपने प्रस्ताव पर आगे बढ़ सकती है।

4बी शाखाएं बंद करना

कोई भी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी अपनी शाखा/कार्यालय को राष्ट्रीय स्तर के किसी एक समाचार पत्र में और संबंधित स्थान में परिचालित एक स्थानीय भाषा के समाचार पत्र में अपनी शाखा/कार्यालय बंद करने का अपना इरादा प्रकाशित किए बिना तथा प्रस्तावित समापन के नब्बे दिनों से पहले भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किए बिना बंद नहीं करेगी]।

भाग III - विशेष उपबंध

बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल की जाने वाली जानकारी

5. (1) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 217 की उप-धारा (1) के तहत संबंधित कंपनी की आम सभा के समक्ष रखी गई निदेशक मंडल की प्रत्येक रिपोर्ट में, एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के मामले निम्नलिखित विवरण या जानकारी को शामिल किया जाएगा, अर्थात: -

(i) कंपनी में जनता के ऐसे जमा खातों की कुल संख्या, जहां जमाराशि के चुकौती के लिए देय हो जाने की तारीख के बाद भी जमाकर्ताओं द्वारा दावा नहीं किया है या कंपनी द्वारा उन्हें अदा नहीं किया गया है; और
(ii) उपरोक्त खंड (i) में उल्लिखित तारीखों के बाद दावा न किए गए या अदत्त रहे ऐसे खातों के अधीन कुल देय राशियां।

(2) उक्त विवरण या सूचना उस वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन की स्थिति के संदर्भ में प्रस्तुत की जाएगी जिससे रिपोर्ट संबंधित है और यदि पूर्ववर्ती उप-पैरा के खंड (ii) में यथानिर्दिष्ट अदावाकृत या असंवितरित शेष राशि कुल मिलाकर पांच लाख रुपये की राशि से अधिक है, तो ऐसी स्थिति में रिपोर्ट में जमाकर्ताओं के अदावाकृत या असंवितरित शेष राशि के पुनर्भुगतान के लिए निदेशक मंडल द्वारा उठाए गए कदमों या उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों पर एक विवरण भी शामिल होगा।

अनुमोदित प्रतिभूतियों की सुरक्षित अभिरक्षा

[22][6. (1) प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी -

[22] 1 अक्टूबर 2002 की अधिसूचना संख्या 159 द्वारा प्रतिस्थापित

(i) किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, या स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल) में ग्राहकों की सहायक सामान्य खाताबही (सीएसजीएल) या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के साथ पंजीकृत किसी निक्षेपागार सहभागी के माध्यम से किसी निक्षेपागार में एक अमूर्तीकृत खाता खोलेगी और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-आईबी और 31 जनवरी, 1998 की अधिसूचना सं. डीएफसी.121/ईडी(जी)-98 के अनुसरण में इसके द्वारा अनुरक्षित की जाने वाली भार-रहित अनुमोदित प्रतिभूतियों को ऐसे सीएसजीएल खाते या अमूर्तीकृत खाते में रखेंगी;

(ii) जिस स्थान पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, वहां के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में से किसी एक को नामित बैंकर के रूप में, नामित करेगी और ऐसे बैंक अथवा एसएचसीआईएल को 31 जनवरी, 1998 की अधिसूचना सं. डीएफसी.121/ईडी(जी)-98 के अनुसरण में कंपनी द्वारा किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में रखे गए भार-रहित मीयादी जमाओं और और ऐसी भार-रहित अनुमोदित प्रतिभूतियां जो अमूर्तीकृत नहीं है को भौतिक रूप से सौंप देंगी।

और ऐसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक का नाम और पता जहां उसने अपना सीएसजीएल खाता खोला है या प्रतिभूतियों को भौतिक रूप में रखा है, या एसएचसीआईएल का स्थान जहां उसने अपना सीएसजीएल खाता खोला है या प्रतिभूतियों को भौतिक रूप में रखा है या निक्षेपागार (और निक्षेपागार सहभागी) जहां इसने अपना डीमैट खाता रखा है, भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय, जिसके अधिकार क्षेत्र में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है को लिखित रूप में सूचित करेगी, जैसा कि दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट है:

बशर्ते कि जहां एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय के स्थान से इतर किसी अन्य स्थान पर निर्दिष्ट बैंकर या एसएचसीआईएल के साथ उपर्युक्त खंड (ii) में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को सौंपने का इरादा रखती है, तो वह भारतीय रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय जिसके अधिकार क्षेत्र में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, का लिखित में अनुमोदन प्राप्त कर ऐसा कर सकती है, जैसा कि दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट है:]

[23] [बशर्ते आगे कि उक्त सीएसजीएल खाते या डीमैट खाते में धारित सरकारी प्रतिभूतियों का, यहां इसके बाद निर्दिष्ट प्रक्रिया और सीमा के अनुसरण के अलावा या तो तैयार वायदा संविदाओं जिसमें प्रतिवर्ती तैयार वायदा संविदाएं शामिल हैं में प्रवेश करके या अन्यथा माध्यम से कारोबार नहीं किया जाएगा।]

[23] 31 जुलाई, 2003 की अधिसूचना संख्या 170 द्वारा जोड़ा गया

[24][(2) उपरोक्त उप-अनुच्छेद (1) में उल्लिखित प्रतिभूतियों को जमाकर्ताओं के लाभ के लिए उस पैरा में निर्दिष्ट रूप में रखा जाना जारी रहेगा और भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से जमाकर्ताओं को पुनर्भुगतान के अलावा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा उसका आहरण नहीं लिया जाएगा या भुनाया नहीं जाएगा या अन्यथा व्यवहार नहीं किया जाएगा :

बशर्ते कि –

(i) एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी अपनी जनता की जमाराशियों में कमी के अनुपात में जो इसके लेखापरीक्षक द्वारा विधिवत प्रमाणित हो, ऐसी प्रतिभूतियों का एक हिस्सा आहरित कर सकती है।;

(ii) जहां गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी भौतिक रूप में रखी गई ऐसी प्रतिभूतियों को प्रतिस्थापित करने का इरादा रखती है, तो वह ऐसे आहरण से पहले नामित बैंक या एसएचसीआईएल को समान मूल्य की प्रतिभूतियां सौंप कर ऐसा कर सकती है; और]

[[25](iii)] इन प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य, किसी भी समय, 31 जनवरी, 1998 की अधिसूचना संख्या डीएफसी.121/ईडी(जी)-98 में निर्दिष्ट जनता की जमाराशि के प्रतिशत से कम नहीं होगा।

[26][(3) जहां गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, या तो तैयार वायदा संविदा जिसमें प्रतिवर्ती तैयार वायदा संविदाएं शामिल हैं में प्रवेश करके या अन्यथा के माध्यम से, सरकारी प्रतिभूतियों में जो अधिनियम की धारा 45-आईबी और अधिसूचना सं. डीएफसी के तहत 121/ईडी (जी)-98 दिनांक 31 जनवरी 1998 के अनुसार आवश्यकता से अधिक धारित हैं, का व्यापार करने का इरादा रखती है, तो इस तरह की अतिरिक्त सरकारी प्रतिभूतियों को रखने के लिए एक अलग सीएसजीएल या अमूर्तीकृत खाता खोलकर ऐसा किया जा सकता है।]

<u>कर्मचारी प्रतिभूति जमाराशि</u>

7. एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी अपने व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में अपने किसी भी कर्मचारी से उसके कर्तव्यों के उचित निष्पादन के लिए प्रतिभूति जमा के रूप में कोई राशि प्राप्त करती है, तो उक्त राशि कर्मचारी और कंपनी के संयुक्त नामों से किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक या डाकघर में निम्नलिखित शर्तों पर रखी जाएगी –

(1) कंपनी कर्मचारी की लिखित सहमति के बिना राशि आहरित नहीं करेगी; और

(2) उक्त राशि ऐसे जमा खाते पर देय ब्याज सहित कर्मचारी को प्रतिदेय होगी, जब तक कि ऐसी राशि या उसका कोई हिस्सा कर्मचारी की ओर से अपने कर्तव्यों के उचित निष्पादन में विफलता के कारण कंपनी द्वारा विनियोजित किए जाने के अधीन न हो।

---

[24] 1 अक्टूबर 2002 की अधिसूचना संख्या 159 द्वारा प्रतिस्थापित

[25] अधिसूचना संख्या 170 दिनांक 31 जुलाई, 2003 के द्वारा खंड (iii) को हटा दिया गया और खंड (iv) पुनः क्रमांकित कर दिया गया

[26] 31 जुलाई 2003 की अधिसूचना संख्या 170 द्वारा जोड़ा गया

रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की जाने वाली निदेशकों की रिपोर्ट,
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, लेखा और विवरणियों पर नोट
<u>के साथ तुलन पत्र और लेखा की प्रतियां</u>

8. (1) प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो जनता की जमाराशि स्वीकार/धारित करती है , प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि को लेखा परीक्षित तुलन पत्र और उस वर्ष के संबंध में आम सभा में कंपनी द्वारा पारित लेखापरीक्षित लाभ और हानि खाते के साथ कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 217(1) के अनुसार ऐसी बैठक के पंद्रह दिनों के भीतर कंपनी के समक्ष रखी गई निदेशक मंडल की रिपोर्ट की एक प्रति और इसके लेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट और लेखा पर टिप्पणियों की एक प्रति भी भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपेगी।

<u>लेखापरीक्षक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान</u>

(2) जनता की जमाराशियां धारण/स्वीकार करने वाली प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी ऊपर उप-पैराग्राफ (1) में दिए गए लेखापरीक्षित तुलन पत्र की एक प्रति के साथ निदेशक मंडल को लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की एक प्रति और अपने लेखा परीक्षक से इस आशय का प्रमाणपत्र कि कंपनी के जमाकर्ताओं की देनदारियों की पूरी राशि देय ब्याज सहित, तुलन पत्र में उचित रूप से दर्शाई गई है और यह कि कंपनी जमाकर्ताओं को देय इस तरह की राशि को पूरा चुकाने स्थिति में है भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करेगी ।

<u>भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां</u>

(3) प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो जनता की जमाराशियों को धारण/स्वीकार करती है, भारतीय रिजर्व बैंक को पहली अनुसूची में निर्दिष्ट जानकारी प्रस्तुत करते हुए, कथित अनुसूची में निर्दिष्ट तिथि के अनुसार अपनी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में एक विवरणी प्रस्तुत करेगी।

(4) प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, निम्नलिखित मामलों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने के एक महीने के भीतर, भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित करेगी:

(i) पंजीकृत/कॉर्पोरेट कार्यालय का पूरा डाक पता, टेलीफोन नंबर और फैक्स नंबर;

(ii) कंपनी के निदेशकों के नाम और उनके आवासीय पते;

(iii) इसके प्रमुख अधिकारियों के नाम और आधिकारिक पदनाम;

(iv) कंपनी की ओर से हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकृत अधिकारियों के नमूना हस्ताक्षर; और

(v) कंपनी के लेखा परीक्षकों के नाम और कार्यालय का पता।

<u>गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग को प्रस्तुत की जाने वाली</u>
<u>तुलन पत्र, विवरणी आदि</u>

(5) इन निदेशों के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया जाने वाला कोई भी तुलन पत्र, विवरणी या जानकारी या सूचना या विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक के गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किया जाएगा जिसके अधिकार क्षेत्र में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, जैसा कि दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट है।

<u>कुछ विशेष प्रकार की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों</u>
<u>पर निदेशों का लागू न होना</u>

9. इन निदेशों के पैराग्राफ 4 से 8 में निहित कुछ भी निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा:

(1) एक बीमा कंपनी जिसके पास बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का IV) की धारा 3 के तहत जारी पंजीकरण का वैध प्रमाण पत्र है, या स्टॉक एक्सचेंज जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 4 के तहत अधिसूचित है, या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 12 में परिभाषित एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी;

(2) एक ऋण कंपनी, एक निवेश कंपनी, एक किराया खरीद वित्त कंपनी या एक उपस्कर पट्टेदारी कंपनी जो जनता की किसी भी जमाराशि को स्वीकार/धारण नहीं करती है:

बशर्ते कि कंपनी अपने निदेशक मंडल की बैठक में इन निदेशों के जारी होने के तीस दिनों के भीतर और उसके बाद अगले वित्तीय वर्ष और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के शुरू होने के तीस दिनों के भीतर इस आशय का संकल्प पारित करती है कि कंपनी ने वर्ष के दौरान न तो जनता की जमाराशि को स्वीकार किया है और न ही जनता की कोई जमाराशि को स्वीकार करेगी।

(3) एक निवेश कंपनी,

(i) जिसने केवल अपने स्वयं के समूह/होल्डिंग/सहायक कंपनियों के शेयरों/प्रतिभूतियों का अधिग्रहण किया है और यह अधिग्रहण किसी भी समय इसकी कुल संपत्ति के नब्बे प्रतिशत से कम नहीं है;
(ii) जो ऐसे शेयरों/प्रतिभूतियों का लेन-देन नहीं करती है; और
(iii) जो जनता की किसी भी जमाराशि को स्वीकार/धारण नहीं करती है

बशर्ते कि कंपनी अपने निदेशक मंडल की बैठक में इन निदेशों के जारी होने के तीस दिनों के भीतर और उसके बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष के शुरू होने के तीस दिनों के भीतर इस आशय का संकल्प पारित करती है कि कंपनी ने अपने समूह/होल्डिंग/सहायक कंपनियों के शेयरों/प्रतिभूतियों में अपनी आस्तियों के न्यूनतम 90 प्रतिशत तक का निवेश किया है या निवेश करेगी/ धारण करेगी और (प्रत्येक कंपनी का नाम निर्दिष्ट किया जाना है), कि यह ऐसे शेयरों/प्रतिभूतियों का व्यापार नहीं करेगी और इसने वर्ष के दौरान न तो कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार किया है और न ही स्वीकार करेगी।

.[27][9ए पैराग्राफ 4 से 7 में निहित कुछ भी ऐसी एनबीएफसी पर लागू नहीं होगा जो कि कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 के तहत परिभाषित एक सरकारी कंपनी है।]

<u>छूट</u>

10. भारतीय रिजर्व बैंक, यदि वह किसी कठिनाई से बचने के लिए या किसी अन्य उचित और पर्याप्त कारण से आवश्यक समझता है, तो किसी कंपनी या कंपनियों के वर्ग को इन निदेशों के सभी या किसी भी प्रावधान का पालन करने के लिए समय का विस्तार दे सकता है या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आरोपित किए जाने वाली शर्तों के अधीन सामान्यतःया किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए अनुपालन से छूट प्रदान कर सकता है।

<u>गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 के उल्लंघन के लिए की गई या की जा सकने वाली कार्रवाई की रक्षा</u>

11. एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि 2 जनवरी 1998 की अधिसूचना संख्या डीएफसी.114/डीजी (एसपीटी)-98 में निहित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 का अधिक्रमण निम्नलिखित को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगा -

(i) उसके तहत अर्जित, उपार्जित या उपगत कोई अधिकार, दायित्व या देयता ;

(ii) उसके तहत किए गए किसी भी उल्लंघन के संबंध में हुआ कोई जुर्माना, जब्ती या दण्ड; और

(iii) ऐसे किसी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देयता, जुर्माना, जब्ती या दंड के संबंध में कोई जांच, कानूनी कार्यवाही या कार्रवाई जो उक्त निदेशों के तहत की गई हो या के कारण हो,

[27] 13 जनवरी 2000 की अधिसूचना संख्या 134 द्वारा जोड़ा गया

और ऐसी कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही या कार्रवाई शुरू की जा सकती है, जारी रखी जा सकती है, या लागू की जा सकती है और ऐसा कोई भी जुर्माना, जब्ती या दंड लगाया जा सकता है जैसा कि उन निदेशों का अधिक्रमण नहीं होने की स्थिति में लागाया जा सकता था।

<u>पैरा 2(1) में उल्लिखित कंपनियों के अलावा</u>
<u>अन्य कंपनियों के लिए निदेशों की प्रयोज्यता</u>

12. इन निदेशों के उपबंध, जैसा कि वर्तमान में लागू हैं, हर उस कंपनी पर या उसके संबंध में लागू होंगे जो एक वित्तीय संस्थान है, लेकिन जो इन निदेशों के पैरा 2 के उप-पैराग्राफ (1) में वर्णित कंपनियों की किसी भी श्रेणी से संबंधित नहीं है या विविध गैर-बैंकिंग कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1977 के अर्थ में एक विविध गैर-बैंकिंग कंपनी नहीं है या अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश 1987 के अर्थ में एक अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी नहीं है, जैसा कि वे एक ऋण कंपनी पर या उसके संबंध में लागू होते हैं।

हस्ता. /-

(एस. पी. तलवार)
उप गवर्नर

दूसरी अनुसूची

(कृपया निदेशों का पैराग्राफ 6 (1) देखें)

प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय का क्षेत्राधिकार

भारतीय रिज़र्व बैंक

अनुसूची बी

(कृपया निदेशों का पैरा 15 देखें)

रिज़र्व बैंक के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र

	[कार्यालय का नाम और पता	क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आनेवाला प्रदेश
1.	अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय, ला गज्जर चेम्बर्स, आश्रम रोड, अहमदाबाद – 380 009	गुजरात राज्य और संघ दमन और दीव के क्षेत्र और दादरा और नगर हवेली
2.	बैंगलोर क्षेत्रीय कार्यालय, 10-3-8, नृपतुंगा रोड, बैंगलोर -560 002	कर्नाटक राज्य
3.	भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय, होशंगाबाद रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 32, भोपाल-462 011.	[मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य][28]
4.	भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय, पंडित जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पोस्ट बैग नंबर 16, भुवनेश्वर -751 001	उड़ीसा राज्य
5.	[28][कोलकाता] क्षेत्रीय कार्यालय, 15, नेताजी सुभाष रोड, [28][कोलकाता] -700 001	सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्य और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश
6.	चंडीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय, 11, सेंट्रल विस्टा, नया कार्यालय भवन सामने. टेलीफोन भवन, सेक्टर 17, चंडीगढ़-160 017	हिमाचल प्रदेश, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़
7.	चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय, फोर्ट ग्लेशिस, राजाजी सलाई, चेन्नई-600 001.	तमिलनाडु राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी
8.	गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय, स्टेशन रोड, पान बाजार, पोस्ट बॉक्स नंबर 120,	अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्य

[28] अधिसूचना सं. 149 दिनांक 27 जून, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित

	गुवाहाटी -781 001	
9.	हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय, 6-1-56, सचिवालय रोड, सैफाबाद, हैदराबाद - 500 004	आंध्र प्रदेश राज्य
10.	जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय, राम बाग सर्किल, टोंक रोड, पी. बी. नंबर 12, जयपुर-302 004.	राजस्थान राज्य
11.	जम्मू क्षेत्रीय कार्यालय, रेल हेड कॉम्प्लेक्स, पोस्ट बैग नंबर 1, जम्मू-180 012.	जम्मू और कश्मीर राज्य
12.	[28] [कानपुर क्षेत्रीय कार्यालय महात्मा गांधी मार्ग, कानपुर - 208 001]	[28][उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल राज्य]
13.	मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, गारमेंट हाउस, चौथी मंजिल, डॉ. एनी बेसेंट रोड, वर्ली, मुंबई-400 018	गोवा और महाराष्ट्र राज्य
14.	नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय, 6, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110 001	हरियाणा राज्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
15.	पटना क्षेत्रीय कार्यालय, गांधी मैदान के दक्षिण में पोस्ट बैग नंबर 162, पटना-800 001.	[28] [बिहार और झारखंड राज्य]
16.	तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय कार्यालय, बेकरी जंक्शन, तिरुवनंतपुरम -695 033	केरल राज्य और लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश

.[29]फॉर्म - एनबीएस 1

31 मार्च 20.... को जमाराशियों पर वार्षिक विवरणी
(जनता की जमाराशियां स्वीकार करने वाली/धारण करने वाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और एमएनबीसी - अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर द्वारा प्रस्तुत किया जाना है)

फ़ाइल संख्या	
आईडी संख्या	
व्यवसाय की प्रकृति	
जिला कोड	
राज्य कोड	
(आरबीआई द्वारा भरा जाना है)	

कंपनी का नाम : .....

विवरणी भरने के निर्देश – सामान्य

1. यह विवरणी 31 जनवरी 1998 की अधिसूचना सं.डीएफसी.118/डीजी(एसपीटी)-98 के पैरा 8(3) द्वारा कवर की गई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा और 20 जून 1977 की अधिसूचना सं. डीएनबीसी.39/डीजी (एच)-77 के पैरा 11 द्वारा कवर की गई विविध गैर-बैंकिंग कंपनी द्वारा वर्ष में एक बार, 31 मार्च के बाद और विलंबतम 30 सितंबर तक, 31 मार्च को अपनी स्थिति के संदर्भ में, संबंधित कंपनी के वित्तीय वर्ष के समापन की तारीख को ध्यान में रखे बिना गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय, जहां कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है को प्रस्तुत की जाएगी। कंपनी के लेखा परीक्षकों से प्राप्त एक प्रमाण पत्र इसके साथ प्रस्तुत प्रारूप के अनुसार विवरणी के साथ संलग्न किया जाना चाहिए। हालांकि, केवल भाग-3 के संबंध में, जानकारी नवीनतम बैलेंस शीट के अनुसार, लेकिन विवरणी की तारीख से पहले, प्रस्तुत की जानी चाहिए।

   एन.बी. अधिसूचना सं. डीएनबीएस.135/सीजीएम/(वीएसएनएम)-2000, दिनांक 13-1-2000 के अनुसार, एनबीएफसी 31 मार्च 2001 को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष से प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपना तुलन पत्र और लाभ और हानि खातों को तैयार करेंगे। इसलिए 31 मार्च 2001 को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष से, विवरणी के भाग 3 में जानकारी वर्तमान तुलन पत्र की तारीख के अनुसार होगी और इस प्रकार विवरणी की तारीख के अनुरूप होगी।

2. वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा को अंतिम रूप देने/पूरा करने जैसे किसी भी कारण से विवरणी को जमा करने में देरी नहीं होनी चाहिए। विवरणी का संकलन कंपनी की खाता-बहियों में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर होना चाहिए और यह इसके सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।

[29] एनबीएफसी के लिए अधिसूचना संख्या 141 और एमएनबीसी के लिए 145, दोनों दिनांक 30 जून 2000 द्वारा प्रतिस्थापित

3. खातों की संख्या वास्तविक आंकड़ों में दी जानी चाहिए जबकि जमा राशि लाख रुपए में दर्शाई जानी चाहिए। राशि को निकटतम लाख में पूर्णांकित किया जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, 4,56,100 रुपये की राशि को 5 के रूप में दिखाया जाना चाहिए न कि 4.6 या 5,00,000 के रूप में। इसी तरह, 61,49,500 रुपये की राशि को 61 के रूप में दिखाया जाएगा, न कि 61.5 या 61,00,000 के रूप में।

4. रिटर्न पर किसी प्रबंधक (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 2 में परिभाषित) द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए और यदि ऐसा कोई प्रबंधक नहीं है, तो प्रबंध निदेशक या कंपनी के किसी अधिकारी द्वारा जिसे निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अधिकृत किया गया है और जिसका नमूना हस्ताक्षर इस उद्देश्य के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया गया है द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा। यदि नमूना हस्ताक्षर निर्धारित कार्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विवरणी पर हस्ताक्षर किया जाना चाहिए और उसका नमूना हस्ताक्षर अलग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

5. यदि विवरणी के किसी भाग/मद में रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है, तो "खातों की संख्या" के लिए बने कॉलम में संबंधित भाग/मद "शून्य" चिह्नित किया जाए औ राशि के लिए बने कॉलम में 00 इंगित किया जाए।

6. इस विवरणी में उल्लिखित 'सहायक' और 'एक ही समूह की कंपनियां' का वही अर्थ है जो उन्हें कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4 और धारा 372 (11) में दिया गया है, और जैसा कि दिनांक 31 अक्टूबर 1998 को कंपनी अधिनियम में संशोधन से पहले था।

7. यदि यह विवरणी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (इंटरनेट) के माध्यम से निर्दिष्ट वेब सर्वर पर प्रस्तुत की जा रही है, तो इसकी एक हार्ड कॉपी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में विधिवत हस्ताक्षर कर जमा की जाए।

कंपनी प्रोफाइल

1.	कंपनी का नाम			
2.	पंजीकृत कार्यालय का पता	पिन		
	फोन नंबर		फैक्स नंबर	ई-मेल
3.	उस राज्य का नाम जिसमें कंपनी पंजीकृत है			
4.	कॉर्पोरेट / प्रधान कार्यालय का पता	पिन		
	फोन नंबर		फैक्स नंबर	ई-मेल
5.	निगमीकरण की तारीख			
6.	कारोबार शुरू करने की तारीख			
7.	नाम और आवासीय पता : i) अध्यक्ष			
	ii) प्रबंध निदेशक/सीईओ			
8.	क्या यह एक सरकारी कंपनी है (कृपया सही का निशान लगाएं):		हां	नहीं
9.	कंपनी की स्थिति (कृपया सही का निशान लगाएं):			
		(i) पब्लिक लिमिटेड		ii) डीम्ड पब्लिक
		(iii) प्राइवेट लिमिटेड		(iv) संयुक्त उद्यम
10.	कंपनी का वित्तीय वर्ष			
11.	व्यवसाय की प्रकृति			
12.	आरबीआई के साथ पंजीकरण की स्थिति i) पंजीकरण प्रमाण पत्र की संख्या और तारीख यदि आरबीआई द्वारा जारी किया गया है			
	ii) यदि पंजीकृत नहीं है, तो बताएं कि क्या पंजीकरण के लिए प्रस्तुत आवेदन अस्वीकृत / लंबित है			
13.	कंपनी का वर्गीकरण(यदि रिज़र्व बैंक द्वारा एचपी/पट्टेदारी/ऋण/निवेश/एमबीसी आदि के रूप में वर्गीकृत है और संदर्भ संख्या तथा ऐसे वर्गीकरण की तारीख)			
14.	क्रेडिट रेटिंग: i) दी गई रेटिंग			
	ii) रेटिंग की तारीख			

	iii) रेटिंग एजेंसी का नाम	
	iv) क्या पिछली रेटिंग के बाद से कोई बदलाव हुआ है (ब्यौरा)	
15.	शाखाओं/कार्यालयों की संख्या (कृपया नोट 1 के अनुसार नीचे दिए गए प्रारूप में नामों और पतों की सूची संलग्न करें)	
16.	यदि सहायक कंपनी है, तो कृपया होल्डिंग कंपनी का नाम और पता बताएं	
17.	यदि कंपनी की सहायक कंपनियां/सहयोगी कंपनियां हैं, तो उनकी संख्या। (कृपया नोट 2 के अनुसार नीचे दिए गए प्रारूप में नाम, पते, निदेशकों के नाम और उनकी व्यावसायिक गतिविधियों की सूची संलग्न करें)	
18.	यदि कोई संयुक्त उद्यम है तो प्रवर्तक संस्था(ओं) का नाम और पता	
19.	कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों का पता और फोन नंबर सहित नाम	
20.	कंपनी के बैंकरों का पता और फोन नंबर सहित नाम	

नोट (1): शाखाओं का विवरण प्रस्तुत करने के लिए प्रारूप

क्र. सं.	शाखा का नाम	खोलने की तारीख	पता	शहर	जिला	राज्य	जनता की जमाराशि
	कुल शाखाएँ						सभी शाखाओं की जनता की कुल जमाराशियां ..... (राशि)
							तुलन पत्र दिनांक ..... के अनुसार जनता की कुल जमाराशियां ..... (राशि)

नोट (2): सहायक कंपनियों का विवरण प्रस्तुत करने के लिए प्रारूप

क्र. सं.	सहायक कंपनी का नाम	पता	निदेशकों के नाम	व्यवसायिक गतिविधि

आस्तियों और देयताओं का विवरण (31 मार्च, 200—के अनुसार)

भाग-1

जनता की जमाराशियाँ

(राशि लाख रुपए में)

मद क्र.	विवरण	मद कोड	खातों की संख्या	राशि
1.	जनता से सावधि जमा, आवर्ती जमा आदि के रूप में प्राप्त जमाराशियां	111		
2.	(i) पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा शेयरधारकों से प्राप्त जमाराशियां (निधि के अलावा)।	112		
	(ii) प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा पहले नामित शेयरधारक के अलावा अन्य संयुक्त शेयरधारकों से प्राप्त जमाराशि।	113		
3.	(i) गैर-परिवर्तनीय गैर-जमानती डिबेंचर जारी करने से प्राप्त धन (कृपया नीचे दिए गए निर्देश संख्या 1 देखें)	114		
	(ii) किसी अन्य प्रकार की जनता की जमाराशियां (कृपया निर्दिष्ट करें)	115		
4.	**कुल (111 से 114)**	**110**		
5.	उपरोक्त मद 4 में कुल जमा राशियों में से, जो चुकौती-योग्य हैं (i) एक वर्ष के भीतर	121		
	(ii) 1 वर्ष के बाद लेकिन 2 वर्षों तक	122		
	(iii) 2 वर्षों के बाद लेकिन 3 वर्षों से तक	123		
	(iv) 3 वर्षों के बाद लेकिन 5 वर्षों से तक	124		
	(v) 5 वर्षों के बाद	125		
6.	**कुल (121 से 125)**	**120**		
7.	उपरोक्त मद 4 में जनता की जमाराशियों का विवरण, ब्याज दर के अनुसार (दलाली को छोड़कर, यदि कोई हो) (i) 10% से कम	131		
	(ii) 10% या अधिक लेकिन 12% से कम	132		
	(iii) 12% या अधिक लेकिन 14% से कम	133		
	(iv) 14% या अधिक लेकिन 16% से कम	134		
	(v) 16% पर	135		
	(vi) 16% से अधिक लेकिन 18% तक	136		
	(vii) 18% से अधिक	137		
8.	**कुल (131 से 137)**	**130**		
9.	आकार के अनुसार जनता की जमाराशियों का अलग-अलग विवरण i) जनता से प्राप्त सावधि जमा आदि (उपर्युक्त मद क्र 1 देखें)			
	ए) रु. 10,000/- तक	141		
	बी) रु. 10,000/- से अधिक	142		
	ii) पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के मामले में शेयर धारकों से जमा (उपर्युक्त मद संख्या 2 देखें)			

	ए) रु. 10,000/- तक	143		
	बी) रु. 10,000/- से अधिक	144		
	iii) गैर-परिवर्तनीय गैर-जमानती डिबेंचर (उपर्युक्त मद क्र 3 देखें)			
	ए) रु. 10,000/- तक	145		
	बी) रु. 10,000/- से अधिक	146		
10.	**कुल (141 से 146) [मद 110 के सामने दिखाई गई राशि से मेल खाना चाहिए]**	**140**		
11.	उपर्युक्त मद 4 की जमाराशियों में से: i) जो परिपक्व हो गए हैं लेकिन उनका दावा नहीं किया गया है	151		
	ii) जो परिपक्व हो गए हैं, दावा किया गया है लेकिन भुगतान नहीं किया गया है (कृपया नीचे दिए गए अनुदेश संख्या 2 को देखें)	152		
	ए) जनता से (उपर्युक्त मद 1 देखें)	153		
	बी) शेयरधारकों द्वारा (उपर्युक्त मद 2 देखें)	154		
	सी) डिबेंचरधारकों द्वारा (उपर्युक्त मद 3 देखें) (कृपया अनुबंध..... संख्या में (ए) (बी) और (सी) का विवरण दें)	155		
	iii) उपर्युक्त मद (ii) के सामने दिखाए गए हैं जहां सीएलबी ने चुकौती के आदेश पारित किए हैं	156		
12.	दलाली के भुगतान द्वारा वर्ष के दौरान जुटाई गई जनता की जमाराशियां	157		
13.	भुगतान की गई दलाली	158		
14.	12 के संबंध में 13 का %	159		
15.	सार्वजनिक जमा जो परिपक्व हो गए हैं लेकिन परिपक्व होने वाले वर्ष सहित 7 वर्षों से दावा नहीं किए गए हैं	160		

<u>निर्देश:</u>

1. आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर/बांड के मामले में, परिवर्तनीय हिस्से को भाग-2 की मद 9 के सामने दिखाया जाना चाहिए। गैर-परिवर्तनीय गैर-जमानती डिबेंचर इस मद में शामिल किए जाने चाहिए।

2. प्रत्येक जमा का भुगतान न करने के कारण और सीएलबी आदेश (यदि कोई हो) के अनुपालन सहित पुनर्भुगतान के लिए उठाए गए कदमों को एक अनुबंध में इंगित किया जाना चाहिए।

भाग-2

अन्य उधार राशियों का विवरण

मद क्र.	विवरण	मद कोड	खातों की संख्या	राशि
1.	केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण/अन्य से उधार लिया गया पैसा जिसकी चुकौती केंद्र/राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत है	221		
2.	से पैसा उधार लिया गया: i) विदेशी सरकार	222		
	ii) विदेशी प्राधिकरण	223		
	iii) विदेशी नागरिक या व्यक्ति	224		
	कुल (222 से 224)	**225**		
3.	से उधार: (i) बैंक	226		
	(ii) अन्य निर्दिष्ट वित्तीय संस्थान	227		
4.	किसी अन्य कंपनी से लिया गया उधर	228		
5.	निदेशकों/प्रवर्तकों से प्राप्त अरक्षित ऋण	229		
6.	कंपनी द्वारा अपने शेयरधारकों से उधार लिया गया पैसा	230		
7.	सुरक्षा जमा के माध्यम से कंपनी के कर्मचारियों से प्राप्त और कंपनी व कर्मचारियों के नाम पर एक अनुसूचित बैंक या डाकघर के संयुक्त खातों में रखा गया पैसा	231		
8.	जमानती राशि के रूप में प्राप्त पैसा, उधारकर्ताओं, पट्टेदारों, किराएदारों से मार्जिन मनी या प्रतिभूति के माध्यम से या कंपनी के व्यवसाय के दौरान एजेंटों से अग्रिम या वस्तुओं या संपत्तियों की आपूर्ति या सेवाओं के आदेश के विरुद्ध प्राप्त अग्रिम	232		
9.	परिवर्तनीय या जमानती डिबेंचर/बांड जारी करने से प्राप्त पैसा (कृपया नीचे दिए गए निदेश देखें)	233		
10.	उपर्युक्त में से, बैंकों/अन्य एनबीएफसी द्वारा सब्सक्राइब किए गए डिबेंचर	234		
11.	आवंटन हेतु लंबित शेयरों, बांडों या डिबेंचरों के लिए सदस्यता के माध्यम से प्राप्त पैसा, या शेयरों पर अग्रिम कॉल के माध्यम से प्राप्त पैसा (जो पुनर्वित्त के लिए देय नहीं है)।	235		
12.	वाणिज्यिक पत्र	236		
13.	निदेशकों के रिश्तेदारों से प्राप्त जमाराशि	237		
14.	म्यूचुअल फंड से उधार	238		
15.	अन्य (जनता की जमाराशि के रूप में नहीं माना जाता - कृपया निर्दिष्ट करें)	239		
16.	**कुल (221+225+226+233+235 से 239)**	**250**		

निर्देश:

आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर/बांड के मामले में, उपर्युक्त भाग -2 के मद 9 के सामने केवल परिवर्तनीय हिस्सा दिखाया जाना चाहिए।

भाग - 3
निवल स्वाधिकृत निधि

[आंकड़े विवरणी की तारीख से पहले के नवीनतम तुलन पत्र के अनुसार या विवरणी की तारीख के तुलन पत्र के अनुसार प्रस्तुत किए जाएं]
[..... को तुलन पत्र]

मद क्र.	विवरण	मद कोड	राशि
1.	पूंजीगत निधियाँ : (i) चुकता इक्विटी पूँजी	311	
	(ii) चुकता अधिमानी शेयर जो अनिवार्य रूप से इक्विटी में परिवर्तनीय हैं	312	
	(iii) निर्बाध आरक्षित निधियाँ (कृपया नीचे दिए गए निर्देश संख्या 1 देखें)	313	
2.	**कुल (311+312+313) = ए**	**310**	
3.	(i) संचित हानि शेष	321	
	(ii) आस्थगित राजस्व व्यय की शेष राशि	322	
	(iii) अन्य अमूर्त आस्तियां	323	
4.	**कुल (321+322+323 = बी**	**320**	
5.	**स्वाधिकृत निधियाँ (ए - बी) अर्थात (310-320) = सी**	**330**	
6.	के शेयरों में निवेश का बही मूल्य: (i) कंपनी की सहायक कंपनियां	341	
	(ii) एक ही समूह की कंपनियाँ	342	
	(iii) अन्य सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अनुबंध सं..... में ब्यौरा)	343	
7.	के डिबेंचर और बॉन्ड में निवेश का बही मूल्य: (i) कंपनी की सहायक कंपनियां	344	
	(ii) एक ही समूह की कंपनियाँ (अनुबंध सं..... में ब्यौरा)	345	
8.	खरीदे/भुनाए गए बिल, अंतर-कॉर्पोरेट जमा, किराया खरीद और पट्टा वित्त, सीपी सहित बकाया ऋण और अग्रिम: (i) कंपनी की सहायक कंपनियां	346	
	(ii) एक ही समूह की कंपनियाँ (अनुबंध सं..... में ब्यौरा) [कृपया नीचे दिए गए निर्देश संख्या 1 देखें]	347	
9.	**कुल (341 से 347) = डी**	**340**	
10.	**डी, सी के 10% अधिक है** **(340, 330 के 10% अधिक है) = ई**	**351**	
11.	**निवल स्वाधिकृत निधि (330-351) = (सी - ई)**	**350**	
12.	नवीनतम तुलन पत्र के अनुसार, चुकता अधिमानी शेयर पूंजी जो कि अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय नहीं है	361	
13.	चुकता अधिमानी शेयर पूंजी जो कि इस विवरणी की तारीख को अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय नहीं है	362	
14.	विवरणी की तारीख से पहले के नवीनतम तुलन पत्र के अनुसार कुल देयताएँ	363	
15.	इस विवरणी की तारीख को कुल देयताएँ	364	

निर्देश:

1. उपरोक्त मद 1(iii) के तहत उल्लिखित "निर्बाध आरक्षित निधियां" में शेयर प्रीमियम खाते, पूंजी और डिबेंचर आरक्षित मोचन निधि और तुलन-पत्र में दिखाई गई या प्रकाशित किसी अन्य आरक्षित निधि में शेष राशि शामिल होगी ,जो लाभ (लाभ और हानि खाता में जमा शेष सहित) के आवंटन के माध्यम से सृजित है लेकिन जो निम्न नहीं है:-

(i) भविष्य की किसी देयता की चुकौती के लिए या आस्तियों के मूल्यह्रास के लिए या अनर्जक आस्तियों/अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधानों के लिए बनाई गई आरक्षित निधि; या

(ii) कंपनी की आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन द्वारा बनाई गई एक आरक्षित निधि।

2. किराया खरीद और पट्टा वित्त का अर्थ है :

(i) किराया खरीद संपत्ति के मामले में, भविष्य की प्राप्य किस्तों की राशि को अपरिपक्व वित्त प्रभारों के शेष से घटाकर; और

(ii) पट्टा परिसंपत्ति के मामले में, पट्टा परिसंपत्ति का मूल्यह्रास बही मूल्य जोड़ / घटाव पट्टा समायोजन खाते में शेष राशि;

देय लेकिन अप्राप्त राशि को दोनों मामलों में जोड़ा जाना चाहिए।

भाग - 4

अंतर-कॉर्पोरेट जमा/वाणिज्यिक पत्रों सहित बकाया ऋण और अग्रिम

मद क्र	विवरण	मद कोड	राशि
1.	कंपनी की सहायक कंपनियों में ऋण और अग्रिम आदि	411	
2.	एक ही समूह की कंपनियाँ	412	
3.	कंपनियां, फर्म और स्वामित्व प्रतिष्ठान जहां कंपनी के निदेशक पर्याप्त हित रखते हैं। (कृपया नीचे दिए गए निर्देश संख्या 1 को देखें)। [अनुबंध संख्या..... में विवरण]	420	
4.	अन्य: (i) एक ही समूह की कंपनियाँ	431	
	(ii) निदेशक/प्रवर्तक	432	
	(iii) शेयरधारक	433	
	(iv) स्टाफ सदस्य	434	
	(v) जमकर्ता	435	
	(vi) अन्य	436	
5.	**कुल (411+412+420+431 से 436)**	**400**	

निर्देश:

(1) "पर्याप्त हित" का वही अर्थ होगा जो इसके लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 में निर्दिष्ट किया गया है।

(2) विविध देनदार, अग्रिम भुगतान किया गया कर और अन्य वसूली योग्य मदें जो ऋणों और अग्रिमों की प्रकृति में नहीं हैं, उन्हें उपर्युक्त भाग-4 में नहीं दिखाया जाना चाहिए।

(3) अन्य कंपनियों के साथ सावधि जमा को मद 1, 2, 3 और 4 (i) के तहत शामिल किया जाना चाहिए, जैसा भी मामला हो।

(4) सूची से इतर डिबेंचरों में निवेश को जमा माना जाएगा न कि निवेश।

भाग – 5 (i)
निवेश (बही मूल्य पर)

मद क्र	विवरण	मद कोड	राशि
1.	में निवेश – (i) बैंकों में सावधि जमा/बैंकों द्वारा जारी जमा प्रमाणपत्र	541	
	(ii) बैंक (बैंकों) के साथ किसी अन्य जमा खाते में शेष राशि	542	
	(iii) केंद्र/राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां और केंद्र/राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत बांड।	543	
	(iv) यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की इकाइयां	544	
	(v) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें.....)	545	
2.	शेयरों में निवेश: (i) उद्धृत भाव वाले	511	
	(ii) सूची से इतर	512	
3.	डिबेंचर और बॉन्ड में निवेश	515	
4.	कंपनियों के शेयरों और डिबेंचरों/बांडों में निवेश जहां कंपनी के निदेशक पर्याप्त हित रखते हैं। (कृपया भाग-4 का निदेश संख्या 1 देखें)। (अनुलग्नक संख्या..... में ब्यौरा)	520	
5.	**कुल [541 से 545 + 511+ 512 + 515 + 520]**	**500**	

निर्देश:

(1) निवेश खाते में या स्टॉक-इन-ट्रेड के माध्यम से रखे गए शेयरों, डिबेंचर और वाणिज्यिक पत्रों का विवरण इस भाग में शामिल किया जाना चाहिए।

(2) अन्य कंपनियों के पास सावधि जमा यहाँ शामिल नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन भाग - 4 में दिखाया जाना चाहिए

(3) सूची से इतर डिबेंचर/बांड में निवेश को जमा माना जाएगा न कि निवेश।

भाग – 5 (ii)
उद्धृत भाव वाले शेयर/डिबेंचर/बॉन्ड/वाणिज्यिक पत्र

मद क्र	विवरण	मद कोड	राशि
1.	बही मूल्य	551	
2.	बाजार मूल्य	552	

भाग – 6
किराया खरीद व्यवसाय

मद क्र.	किराये पर लिए गए वस्तुओं की प्रकृति	मद कोड	खातों की संख्या	राशि
1.	ऑटोमोबाइल :	611		
	(i) भारी वाणिज्यिक वाहन	612		
	(ii) दोपहिया सहित हल्के वाणिज्यिक वाहन	613		
2.	(iii) अन्य	**610**		
3.	घरेलू वस्तुएँ	621		
4.	डाटा प्रसंस्करण/कार्यालय स्वचालन उपकरण	622		
5.	कृषि उपकरण (ट्रैक्टर, बुलडोजर, आदि)	623		
6.	उद्योगों में उपयोग के लिए औद्योगिक मशीनरी या औजार या उपकरण	624		
7.	अन्य सभी	625		
8.	कुल [610+621+625]	**600**		
9.	उपरोक्त 8 में से बकाया - सहायक कंपनियाँ / एक ही समूह की कंपनियाँ / कंपनियाँ, फर्म और स्वामित्व प्रतिष्ठान जहाँ कंपनी के निदेशक पर्याप्त हित रखते हैं	691		

भाग-7
उपस्कर पट्टेदारी व्यवसाय

मद क्र.	पट्टे पर दी गई उपकरण की प्रकृति	मद कोड	पट्टे पर दी गई सकल आस्तियाँ	संचित मूल्यह्रास +/- पट्टा समायोजन खाता	पट्टे पर दी गई कुल आस्तियाँ और राशि देय है लेकिन प्राप्त नहीं हुई है
1.	संयंत्र और मशीनरी	701			
2.	डाटा प्रसंस्करण/कार्यालय उपकरण	702			
3.	वाहन	703			
4.	अन्य	704			
5.	**कुल (701+702+703+704)**	**700**			
6.	उपर्युक्त 5 में से, सहायक कंपनियाँ / एक ही समूह की कंपनियाँ / कंपनियाँ, फर्म और स्वामित्व प्रतिष्ठान जहाँ कंपनी के निदेशक	791			

	पर्याप्त हित रखते हैं/इस तरह की इच्छा रखते हैं।				

भाग-8

बिल व्यवसाय

मद क्र	विवरण	मद कोड	राशि
1.	खरीदे गए/भुनाए गए बिल जहां आहरणकर्ता, अदाकर्ता या एक बेचानकर्ता है: (i) कंपनी की सहायक कंपनियाँ	801	
	(ii) एक ही समूह की कंपनियाँ	802	
	(iii) ऐसी कंपनियाँ या फर्म जिनमें कंपनी के किसी भी निदेशक का पर्याप्त हित है या स्वामित्व प्रतिष्ठान उसके स्वामित्व में है	803	
2.	उपर्युक्त 1 के अलावा खरीदे/भुनाए गए बिल	820	
3.	**कुल (801+802+803+820)**	**800**	

भाग – 9
अन्य अचल आस्तियों का विवरण

मद क्र	विवरण	मद कोड	राशि
1.	अचल आस्तियां: (i) अपने प्रयोग के लिए भूमि और भवन	901	
	(ii) भूमि और भवन – अन्य	902	
	(iii) फर्नीचर और जुड़नार	903	
	(iv) वाहन	904	
2.	अमूर्त के अलावा अन्य आस्तियां	905	
3.	**अन्य आस्तियों का कुल (901+902+903+904+905)**	**910**	
4.	**कुल आस्तियां [अमूर्त के अलावा] (400+50+600+700+800+910)**	**900**	

भाग – 10

31 मार्च, 200---- को समाप्त वर्ष के लिए व्यापार सांख्यिकी/जानकारी

मद क्र	विवरण	मद कोड	राशि
1	**I. संवितरण (निधि आधारित गतिविधियां)** उपस्कर पट्टेदारी:		
	(ए) विवरणी की तिथि को शेष बकाया	1001	
	(बी) वर्ष के दौरान कुल संवितरण	1002	
2	किराया खरीद:		
	(ए) विवरणी की तिथि को शेष बकाया	1003	
	(बी) वर्ष के दौरान कुल संवितरण	1004	
3	ऋण		
	(ए) कॉर्पोरेट को शेयरों के विरुद्ध ऋण:		
	(i) विवरणी की तिथि को बकाया शेष	1005	
	(ii) वर्ष के दौरान कुल संवितरण	1006	
	(बी) व्यक्ति को शेयरों के विरुद्ध ऋण:		
	(i) विवरणी की तिथि को शेष बकाया	1007	
	(ii) वर्ष के दौरान कुल संवितरण	1008	
	(सी) दलालों को शेयरों के विरुद्ध ऋण:		
	(i) विवरणी की तिथि को बकाया शेष	1009	
	(ii) वर्ष के दौरान कुल संवितरण	1010	
	(डी) प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) वित्त को ऋण		
	(i) विवरणी की तिथि को बकाया शेष	1011	
	(ii) वर्ष के दौरान कुल संवितरण	1012	
	(ई) अंतर-कॉर्पोरेट ऋण/जमा		
	(i) विवरणी की तिथि पर बकाया शेष	1013	
	(ii) वर्ष के दौरान कुल संवितरण	1014	
	(एफ) अन्य	1015	
4	खरीदे/भुनाए गए बिल :		
	(i) विवरणी की तिथि को बकाया शेष	1016	
	(ii) वर्ष के दौरान कुल संवितरण	1017	
5	4 के, पुनः भुनाए गए बिल :		
	(i) विवरणी की तिथि को बकाया शेष	1018	
	(ii) वर्ष के दौरान कुल संख्या	1019	
6	**II. शेयरों/प्रतिभूतियों में लेन-देन (एसएलआर के अलावा उद्धृत)** शेयर/डिबेंचर/वाणिज्यिक पत्रों की खरीद/बिक्री: (ए) खरीद	1020	
	(बी) बिक्री	1021	

7	**III. शुल्क आधारित गतिविधियां** पूंजी बाजार परिचालन के लिए जारी की गई गारंटी:		
	(ए) विवरणी की तिथि पर बकाया शेष	1022	
	(बी) वर्ष के दौरान कुल संख्या	1023	

8	अन्य प्रयोजनों के लिए जारी गारंटी :		
	(ए) विवरणी की तिथि पर बकाया शेष	1024	
	(बी) वर्ष के दौरान कुल संख्या	1025	
9	वर्ष के दौरान समूहित पट्टा/किराया खरीद	1026	
10	वर्ष के दौरान समूहित ऋण/आईसीडी	1027	
11	वर्ष के दौरान समूहित बिल	1028	
12	हामीदारी अंकन : (ए) कुल हामीदारी अंकित राशि	1029	
	(बी) न्यायगत राशि	1030	
	(सी) बकाया प्रतिबद्धताएँ	1031	

भाग – 10 (ए)
अतिदेयता की स्थिति

मद क्र	विवरण	मद कोड	राशि
1	12 महीनों से अधिक की पट्टा अतिदेयता	1041	
2	12 महीनों तक की पट्टा अतिदेयता	1042	
3	12 महीनों से अधिक की किराया खरीद अतिदेयता	1043	
4	12 महीनों तक की किराया खरीद अतिदेयता	1044	
5	6 महीनों से अधिक की अन्य अतिदेयताएँ	1045	
6	6 महीनों तक की अन्य अतिदेयताएँ	1046	
7	**कुल (1041 से 1046)**	**1040**	

भाग – 11
चुनिंदा आय तथा व्यय का विवरण
(कृपया नीचे दिए गए निर्देशों को देखें)

1	**निधि-आधारित आय :** सकल पट्टा आय	1101	
2	घटा : पट्टे की आस्तियों पर मूल्यह्रास +/- पट्टा समकरण	1102	
3	शुद्ध पट्टा आय **(1101-1102)**	1103	
4	किराया खरीद आय	1104	
5	भुनाए गए बिलों से आय	1105	
6	निवेश आय (ए) लाभांश/ब्याज	1106	
	(बी) शेयर/डिबेंचर/वाणिज्यिक पत्रों की बिक्री पर लाभ/हानि (+/-)	1107	
7	ब्याज आय (ए) इंटर-कॉर्पोरेट जमा/ऋण	1108	
	(बी) अन्य ऋण एवं अग्रिम	1109	
8	अन्य निधि आधारित आय	1110	
9	कुल निधि आधारित आय **(1103 से 1110)**	**1111**	
10	**शुल्क आधारित आय**	1112	

	व्यापारी बैंकिंग गतिविधियों से आय		
11	**हामीदारी अंकन कमीशन**	1113	
12	**बिल, ऋण, आईसीडी, पट्टा और किराया खरीद से आय**	1114	
13	विविध आय	1115	
14	**कुल शुल्क-आधारित आय (1112 से 1115)**	**1116**	
15	**कुल आय (1111+1116)**	**1100**	
16	**ब्याज और अन्य वित्तपोषण लागत** सावधि जमा पर चुकाया गया ब्याज	1117	
17	आईसीडी पर चुकाया गया ब्याज	1118	
18	दलाली	1119	
19	दलालों पर व्यय की प्रतिपूर्ति	1120	
20	अन्य वित्तपोषण लागत	1121	
21	पुनः भुनाने गए बिलों की लागत	1122	
22	**कुल वित्तपोषण लागत (1117 से 1122)**	**1123**	
23	**परिचालन व्यय** कर्मचारी लागत	1124	
24	अन्य प्रशासनिक लागत	1125	
25	**कुल परिचालन लागत (1124+1125)**	**1140**	
26	स्वयं की आस्तियों पर मूल्यह्रास	1126	
27	परिशोधित अमूर्त आस्तियां	1127	
28	निवेशों के मूल्य में ह्रास के लिए उपबंध	1128	
29	अनर्जक आस्तियों के लिए उपबंध	1129	
30	अन्य उपबंध, यदि कोई हों	1130	
31	**कुल खर्च (1123+1140+1126 से 1130)**	**1150**	
32	**कर से पहले लाभ (1100-1150)**	**1160**	
33	**कर**	**1170**	
34	**कर के बाद लाभ (1160-1170)**	**1180**	

निर्देश:

(1) इस भाग में विवरण पूरे वित्तीय वर्ष के लिए होना चाहिए। यदि कंपनी 31 मार्च के अलावा किसी अन्य तिथि को अपनी बही बंद करती है, तो बहियों के बंद होने की तिथि और अवधि का उल्लेख किया जाना चाहिए।

(2) "सकल पट्टा आय" में पट्टा किराया (रिबेट को घटाकर), पट्टा प्रबंधन शुल्क, पट्टा सर्विस चार्ज, प्रारंभिक प्रभार, पट्टा संपत्तियों की बिक्री पर लाभ और पट्टा व्यवसाय से संबंधित विलंबित भुगतान शुल्क शामिल हैं (किए गए/अंतिम रूप दिए गए पट्टा करारों के संबंध में आस्तियों की खरीद के लिए अग्रिम भुगतान पर ब्याज/मुआवजा प्रभार सहित)।

(3) 'पट्टा समकरण खाता' का वही अर्थ है जो आईसीएआई द्वारा जारी पट्टे के लिए लेखांकन पर गाइडेंस नोट (संशोधित) में है।

(4) 'किराया खरीद आय' में वित्त शुल्क (रिबेट को हटाकर), किराया सेवा शुल्क, विलंबित भुगतान शुल्क, अग्रिम शुल्क और किराया खरीद व्यवसाय से संबंधित अन्य आय शामिल हैं (चिन्हित किराएदारों के लिए किराया खरीद संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए अग्रिम भुगतान पर अर्जित ब्याज सहित) ।

प्रमाणपत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जनता की जमाराशि स्वीकृति (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998* (समय-समय पर यथासंशोधित)/विविध गैर-बैंकिंग कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1977* में निहित निदेशों, जैसा भी मामला हो, का अनुपालन किया जा रहा है।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस विवरणी में प्रस्तुत विवरण/सूचना का सत्यापन कर लिया गया है और यह सभी प्रकार से सही और पूर्ण पाया गया है।

(* जो लागू न हो, कृपया हटा दें)

प्रबंधक/प्रबंध निदेशक/प्राधिकृत अधिकारी

दिनांक:

स्थान:

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

हमने ---------- कंपनी लिमिटेड द्वारा अनुरक्षित लेखा-बहियों और अन्य अभिलेखों की इस विवरणी में प्रस्तुत डेटा के संबंध में जांच की है और यह सूचित करते हैं कि हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा जांचे गए रिकॉर्ड द्वारा दिखाए गए अनुसार इस विवरणी में प्रस्तुत किए गए डाटा सही हैं।

स्थान: हस्ताक्षर:

दिनांक: सनदी लेखाकारों के नाम

विवरणी के साथ अनुलग्नक :

1. निम्नलिखित दस्तावेजों को विवरणी के साथ जमा किया जाना चाहिए, यदि वे पहले से नहीं भेजे गए हैं। कृपया संलग्न दस्तावेजों के लिए मद के सामने वाले बॉक्स में सही का निशान लगाएँ और अन्य मामलों में जमा करने की तारीख बताएं।

    (i) विवरणी की तारीख से निकटतम दिनांकित लेखा परीक्षित तुलन पत्र और लाभ एवं हानि खाते की एक प्रति।

    (ii) नमूना हस्ताक्षर कार्ड।

    (iii) 2 जनवरी 1998 की अधिसूचना संख्या डीएफसी.118/डीजी (एसपीटी)-98 के पैरा 4(12) या 20 जून 1977 की अधिसूचना संख्या डीएनबीसी.39/डीजी(एच)-77 के पैरा 6 में संदर्भित आवेदन पत्र की एक प्रति।

2. प्रधान अधिकारियों की सूची तथा निदेशकों के नाम व पते संलग्न प्रपत्र में इस विवरणी के साथ भेजा जाए।

<u>भाग-12</u>

---------- लिमिटेड के प्रधान अधिकारियों और निदेशकों की सूची

<u>I. प्रधान अधिकारी</u>

क्र. सं.	नाम	पदनाम	पता एवं टेलीफोन नंबर	यदि निदेशक किसी कंपनी/यों में है, तो कंपनी/यों के नाम

II. निदेशक

क्र. सं.	नाम	पता	निदेशक, उनके पति या पत्नी और नाबालिग बच्चों द्वारा धारित कंपनी के इक्विटी शेयरों का %	अन्य कंपनियों के नाम जहां वह निदेशक है

प्रबंधक/प्रबंध निदेशक/

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर _____

नाम : _____

पदनाम : _____

स्थान :

_____

दिनांक :

_____